सितम्बर 1984

कुरुक्षेत्र

मूल्य : 1.50 रु०

संपादकीय

विघटनकारी साम्प्रदायिकता रोकने में गांवों का विशेष महत्व

सब धर्मों के सिद्धान्तों का उद्देश्य सत्य, अहिंसा, मैत्री, बन्धुत्व, आत्मोत्सर्ग एवं समाज में आध्यात्मिक मूल्यों की उन्नति को बढ़ावा देना है ताकि सांसारिक गतिविधियां न्याय पर आधारित रहें और सामाजिक प्राणी समान रूप से सुरक्षा, सम्मान, सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकें। परन्तु धर्म के खुदगर्ज ठेकेदारों ने ऐसा कम ही होने दिया है। आज धर्म के नाम और कार्यों का दुरुपयोग इतना अधिक है कि उसका सदुपयोग वाला पक्ष लुप्त हुआ प्रतीत होता है।

आज तक धर्म की आड़ में निहित स्वार्थ में अन्धे और दौलत के नशे में बदहोश चन्द खुदगर्ज लोग रोज देश में जगह-जगह पर भारत की पावन-मना जनता को तरह-तरह के प्रलोभनों द्वारा बहका कर तोड़-फोड़ कराते हैं। यहां तक कि देश द्रोह की ज्वाला तक को हवा और घृत देकर जलाना चाहते हैं। किन्तु यह उनका निरर्थक अभ्यास है। वे अपने नापाक जाल में कभी भारतीय जनों को नहीं फंसा सकते। क्योंकि, भारतीय जनता भोली अवश्य है परन्तु बेसमझ नहीं। भारतीय इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि सब ही धर्म मानवता के उत्थान का मार्ग हैं और ये विभिन्न मुद्राओं, हाव-भावों द्वारा विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न तौर-तरीकों से, विभिन्न पद्धतियों से बने पूजा-स्थलों में जाकर प्रार्थना के माध्यम से आत्मशुद्धि करते हुए एक ही परमेश्वर को समर्पित होने के अलग-अलग जरिए हैं। हम सभी भारतीयों के लिए सारे ही धर्म हमारे अपने हैं।

भारत में किसी भी एक सुशिक्षित सम्प्रदाय (एथनिक समूह) का अवलोकन कर देखें, उसमें सभी भाषाओं के विद्वान व जानकार मिल जाएंगे। जो जिस भाषा का जानकार है वह उस भाषा की पूजा शब्दावली का भी जानकार है। अतः ऐसे अवसर एक नहीं अनेक आते हैं जब एक सम्प्रदाय (एथनिक समूह) में पैदा हुए व्यक्ति दूसरे सम्प्रदाय द्वारा प्रयुक्त भाषा और तौर-तरीकों से ही प्रभु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम सब भारतीय परिचय और आवभगत के अवसरों पर एक दूसरे सम्प्रदायों के तौर तरीकों का भी प्रचुरता से प्रयोग करते हैं। ये व्यवहार भारतीय समाज की सांस्कृतिक पुष्पावली के घटक हैं।

अब देखना यह है कि धर्म की आड़ में वक्तन-फवक्तन जो चन्द विघटनकारी तत्व सक्रिय हो, सारे राष्ट्र की चिन्ता का विषय बन जाते हैं उनकी विघटनकारी सक्रियता और प्रवृत्ति को राष्ट्रीय निर्माणकारी सक्रियता और प्रवृत्ति में कैसे बदला जाए? क्या किया जाए कि ऐसे दुखद अवसर तथा दशाएं निर्मित ही न हों और विनाशकारी सक्रियता पनप ही न सके। इस सम्बन्ध में अनेक पहलुओं पर शीघ्रातिशीघ्र गहराई से विचार, निर्णय और कार्य करने की जरूरत है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए अभियान शुरू करना होगा। इस अभियान का स्वरूप व्यापकतम होना चाहिए और निर्णयों के अनुपालन की प्रक्रिया को हर भारतीय के जीवन का अंग इस प्रकार बन जाना चाहिए कि वांछित सफलता मिले तथा वह एक राष्ट्रीय टेव बन जाए जिससे विघटनकारी तत्वों का निराकरण सदा-सदा के लिए हो जाए।

तोड़-फोड़ के समय साम्प्रदायिक और विघटनकारी दंगे, लूट-पाट, आगजनी और कत्ल व छुरेबाजी तथा शूटिंग आदि को धार्मिक स्थलों से विशेष पोषण मिलता है। ऐसे अवसरों पर ये इन सभी कृत्यों के कर्ताओं की शरण स्थली बन कर रह जाती हैं। लोगों की धार्मिक भावनाओं, स्त्री सम्मान की प्रवृत्ति और पशुओं के प्रति पूज्य नजरिए के साथ इस तरह खिलवाड़ रचाया जाता है कि बहुसंख्य भोले नागरिकों को स्वार्थान्ध खुदगर्जों की पहले तो हां में हां मिलानी पड़ती है और फिर एक बार फंसने पर मजबुरी और मौत से मुकाबला करने की कशमकश में निष्क्रिय ही रहना पड़ता है। पूजा स्थलों की

(शेष आवरण पृष्ठ 3 पर)

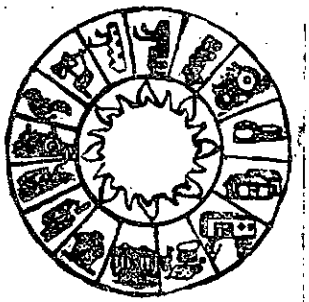

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास का प्रमुख मासिक

वर्ष 29 भाद्रपद-आश्विन 1906 अंक 11

इस अंक में पृष्ठ संख्या

मानव जीवन के सुख का आधार : पेड़, पौधे, फल तथा वन्य जीवों के प्रति स्वस्थ व्यवहार 2
प्रो० विमला उपाध्याय

वायु, जल तथा जीव का पर्यावरणीय संबंध 5
अंकुश्री

ऊर्जा के अक्षय स्रोत : ये पेड़ पौधे 8
डा० उमेश चन्द्र पाण्डेय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दस्तक गांवों के द्वार पर 10
ममता विश्नोई

आओ ! पेड़ लगाएं हम 12
भंवर लाल खण्डेलवाल

प्रौढ़ शिक्षा में कैसे प्रथम 14
प्रभात कुमार सिंघल

घूमन्तु जीवन का चिथड़ों से बना तम्बू वास छोड़कर अपने मकानों में रहेंगे 16
अशोक कुमार यादव

उपयोगी जानकारी अमरूद के बारे में 19
डा० विमला अग्रवाल

दूध: एक आदर्श आहार 19
अशोक कुमार

गोबर तेरे लाभ अनेक 20
मदन गोपाल गुप्ता

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं : एक अवलोकन 22
नरेश चन्द्र त्रिपाठी

मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 24
मालती गुप्ता

कुएं का भूत 28
भगवती लाल व्यास

कम लागत से जल्दी आय 29
अरुण कुमार सिंह

लघु उद्योग का पूंजी ढांचा—एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 30
डा० बी० डी० कवि दयाल

केन्द्र के समाचार 32

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

दूरभाष : 382406

एक प्रति : 1.50 रु०
वार्षिक चन्दा : 15 रु०

व्यापार व्यवस्थापक : लेख राज बत्रा
सहायक व्यापार व्यवस्थापक : एडवर्ड बेक
सहायक निदेशक (उत्पादन) :
आर० एस० मुंजाल

सम्पादक : जयन्त जहांगीर सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : मेघजी परमार

मानव जीवन के सुख का आधार :

पेड़, पौधे, फल तथा वन्य जीवों के प्रति स्वस्थ व्यवहार

प्रो० विमला उपाध्याय

बांदा से एक खबर मिली है कि वहां के वन अधिकारी ने श्रावणी पूर्णिमा के अवसर पर पेड़ों को राखी बंधवाई और उन्हें धर्मभाई स्वीकार किया। कहा जाता है कि इसका नतीजा बड़ा अनुकूल हुआ और इससे पेड़ों के प्रति ममत्व जगा। अन्यथा वन के प्रति हमारा रवैया इतना कठोर और अमानुषिक है कि पेड़ पोधों का जीवन खतरे में टंगा रहता है। जरा अनुमान लगाइए उस पोधे की स्थिति का जिसका तना मुश्किल से दस सेंटीमीटर होगा, मोटाई आधा सेंटीमीटर। वह एक बार के दातुन में समाप्त हो जाता है। कितना प्यारा पौधा हवा में लहराता हुआ--विशाल वृक्ष बनने की संभावना अपने में समेटे हुए भी काल का ग्रास बन जाता है ! कहां वृक्ष परोपकार का अप्रतिम उदाहरण, पत्थर मारने वाले को भी फल देने वाला और कहां उसके अस्तित्व पर पगपग पर संकटों का जाल।

देशभर की कोयले की खदान, भवन निर्माण आदि के लिए शाल के बल्ले-बल्लियों की आपूर्ति की जाती है। एक बल्ला या बल्ली लम्बाई 2 मीटर से साढ़े चार मीटर तक, मोटाई 10 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक) एक पेड़ ही है। ऐसे लाखों बल्ले-बल्ली रोज काटे जाते हैं। जहां सघन शाल वन हैं, पेड़ों की अधिकता स्वयं अपने भाइयों के विकास में बाधक है, वहां बीच-बीच से पेड़ काटना हितकर है। पर यहां तो पेड़ पर घातक खतरे हैं। उसने हवा में सिर उठाया कि जड़ से काट लिया गया। इस प्रकार वन के पेडों की कटाई दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

वन्य पशुओं की अवस्था भी अच्छी नहीं है। उनका स्वाभाविक जीवन देखकर हर्षपुलक रोमांच होता है किन्तु लोग अभयारण्यों में शिकार खेलने से बाज नहीं आते हैं। फलतः उनकी चाल ढाल में परिवर्तन आ गया है। मौत की दहशत के कारण उनका चौकन्ना रहना स्वाभाविक है। जिस प्रकार सरोवर की शोभा, कमल है, आकाश की शोभा सूर्य है, उसी प्रकार वन की शोभा उसके पशु पक्षी हैं। उन पर संकट है। वन्य संरक्षण, सुरक्षा आदि की भावना को मानव मन में अभी स्थायी स्थान पाना शेष है।

ग्राम्य विकास की संभावनाओं को उजागर करने में वृक्षों का अप्रतिम योग दान है। इससे न केवल रोजगार मिलता है, वरन् भोजन की समस्या भी हल होती है। आदिवासियों में से 60 प्रतिशत आज भी वनों पर निर्भर हैं। परिस्थिति की क्या विषमता है कि अब वृक्षों से प्राप्त फल भी शुद्ध नहीं होते। कुछ वर्ष पूर्व पंजाब में कृषि मंत्री ने विधान सभा में एक नारंगी दिखाई थी, जिसमें सूई द्वारा सेक्रीन डाला गया था। कच्ची नारंगियों को कार्बाइट छिड़क कर पकाना तथा सूई से मीठा करना आम बात है। कच्चे आम, केले, पपीते, अनार, बीदाना, शरीफे आदि फलों को गैस में पकाकर उचित रंग में लाना और बेचना साधारण बात है। ऐसे फलों में न स्वाद मिलता है और न पोषक तत्व। पेट में अम्ल और वायुविकार से उत्पन्न पीड़ा होने लगती है। वृक्ष और फलों दोनों पर अत्याचार होता है। केला का पौधा बढ़ा नहीं कि पत्ते पत्तल के काम आने लगे, पौधे में केला उगा नहीं कि तरकारी के लिए बेच दिया गया। फल के थोड़ा बड़े होने का धैर्य रहा तो फिर कच्चा ही तोड़कर रसायन व ताप से पका दिया गया।

आम में बौर आए कि टिकोले (बच्चे आम) निकलने का इंतजार होने लगा। टिकोले जब जामुन के आकार के हुए नहीं कि तोड़कर चटनी बनने लगी, जरा और बड़े हुए (उसमें गुठली आई) कि अचार के लिए तोड़ने लगे। भाग्यवश जो बच गए, पकने के पूर्व ही तोड़ लिए गए। वृक्ष में फलों का पकना, पक्षियों का कलरव, कोयल का कूकना, कौओं का ताक लगाए रखना--ये सब अब कहां छिपने लगे। न वृक्षों के प्रति हमदर्दी रह गई और न उनके फलों के प्रति सद्व्यवहार।

कितना कृतघ्न हो गया है मनुष्य कि उपकारी वृक्षों के प्रति न सदय हो पाता है, न उसके प्रति उचित व्यवहार ही कर पाता है। जलावन के लिए पूरे भारतवर्ष में लकड़ी का दूसरा तगड़ा

विक[illegible] नहीं है। फलतः घर के आस-पास के पेड़ धड़ाधड़ कट रहे हैं। थोड़ी जलावन की जरूरत हुई, एक बड़ी डाल काट ली गई। खजूर, ताड़ के वृक्ष तो ताड़ी चुआने के कारण असमय बूढ़े और कमजोर होकर गिर जाते हैं। किसी के गले को बराबर छीला जाए तो वह कब तक जिंदा रहेगा। इससे एक ओर पेड़ के मालिक को सालाना प्रतिवृक्ष दस रुपये मिले, दूसरी ओर नशाखोरी को प्रोत्साहन मिला और तीसरी ओर वृक्षों का सत्यानाश हुआ। ताड़ और खजूर के बने गोल (शहतीर) सौ वर्षों तक छत का बोझ लादे रहते हैं, उनके सड़ने-गलने का सवाल नहीं है। फल अलग मिलता है। वृक्ष दिन में पर्याप्त आक्सीजन छोड़कर पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं, वातावरण शुद्ध रहता है। अब पर्यावरण विशेषज्ञों के सामने भी वृक्ष लगाने और लगे वृक्षों को बचाने के अलावा कोई चारा नहीं है।

स्नान-ध्यान कर, मैं तुलसी के पौधे में जल देती हूं और श्रद्धा से हाथ जोड़ती हूं। बट सावित्री पूजा के दिन, बट वृक्ष को पूजा करती हूं और अक्षय तृतीया के दिन अक्षय वृक्ष को। किसी पूजा अनुष्ठान में आम्रपल्लव अवश्य चाहिए। कदली फल के बिना विष्णु भगवान को लगाया गया भोग पूर्ण नहीं होता, उसके पत्ते के बिना पूजा पूरी नहीं होती। मंगल कलश में नारियल और आम्रपल्लव रखा जाता है और उसके नीचे धान या जौ और दुर्वादल। वंदनवार या यज्ञवेदी का अहाता अशोक वृक्ष के पत्तों के बिना नहीं शोभाता। दीवाली के दिन केले के गाछों से ही वंदनवार सजाए जाते हैं। प्रसाद के लिए पांच फलों का विधान है और पूजार्थ पंचपल्लव का। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने वृक्ष के संरक्षण, पोषण और पूजन को धार्मिक संस्कारों के साथ इस प्रकार जोड़ा कि वे हमसे अभिन्न हो गए हैं। मसलन, हम चाहे अनचाहे किसी भी धार्मिक अवसर पर उन्हें याद अवश्य करते हैं। पर इसका आध्यात्मिक अर्थ लगाने भर से काम नहीं चलता। तुलसी की पूजा इसलिए नहीं होती कि वह विष्णु को प्रिय है, वरन् यह इतना बड़ा विसंक्रामक है कि उसके आसपास किसी रोगाणु का आक्रमण नहीं हो सकता। नीम भी वैसा ही विसंक्रामक है। एलोपैथी वाले भी उसकी सहायता से विसंक्रामक दवाएं निकाल रहे हैं, पर हम अब अपने नीम को भूलते जा रहे हैं।

बड़ा गहरा नाता है मानव का वृक्षों से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लतावितानों से सीता का पता पूछते फिरते हैं। किसी का प्रियतम आम का पेड़ लगा गया है। पेड़ जवान हो गया है, फूलने फलने लगा है, पर प्रियतम लौटकर नहीं आया। विरहकाल की दीर्घता को व्यक्त करने का कैसा सशक्त माध्यम है पेड़। पेड़ का प्रतिदिन बढ़ना, जवान होना, उसे रोज सींचना, सहलाना और प्रियतम की याद में विसूरना एक साथ ही उसके प्रियतम और वृक्ष प्रेम की कितनी अनकही कहानी की ओर संकेत कर देता है। क्या कैलेंडर के पन्ने पलटने से उसकी पीड़ा व्यक्त हो पाती?

एक दूसरी नायिका है विरह व्याकुल। संयोगवश उसके आंगन के वृक्ष पर कौआ बोलता है। कौए का बोलना किसी प्रवासी, अतिथि के आगमन का सूचक होता है। नायिका की कल्पना संयोग के ताने-बाने बुनने लगती है और वह संदेश वाहक कौए की चोंच सोने से मढ़वाना चाहती है। वृक्ष और पक्षी दोनों परस्पर पूरक हैं और उनके साथ हमारी अनंत कामनाओं की कथा जुड़ी है।

काश, हमारी भावनाओं, कल्पनाओं, जीवन दशाओं और जीवनमानों को गति देने वाले इन वृक्षों और उससे संबंधित जीवों के प्रति हमारी चेतना उद्बुद्ध हो पाती। हमारा वर्तमान तनावों, संकटों और परेशानियों से जकड़ा है। मसलन हम भविष्य के बारे में उतना नहीं सोच पाते हैं न जागरूक ही रह पाते हैं। यही कारण है कि प्रातःकाल का दातुन हमें भविष्य के विशाल वृक्ष से श्रेयस्कर लगता है। एक बल्ला या शहतीर एक विशाल शाल वृक्ष से कीमती लगता है। थोड़ी सुविधा पाकर खुश होने की मानव भावना तथा हमारी गरीबी और अदूरदर्शिता वन और वन्य जीवन के लिए जानलेवा है।

धर्म, संस्कार, लोकगीत में रचे, बसे व तद्रूप हुए वृक्ष के महत्व को भला हम कैसे नकार सकते हैं? सवाल स्वीकार भर का नहीं है। बच्चों के समान उसको जन्म देकर लालन-पालन कर जवान बनाने का है। माताएं बच्चों का ढिठौना लगा देती हैं, कहीं डायन की नजर न लग जाए। वृक्ष को भी उन्हीं अपशकुन नजरों से बचाना है। हाल के पर्यावरण संबंधी शोधों (इकोलॉजिकल रिसर्च) से पता चला है कि वृक्ष की एक टहनी को भी मरोड़ेंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, तो वह इसे अनुभव करेगा कंप्यूटर पर उसका ग्राफ आ जाएगा। इतने संवेदनशील वृक्ष और उसके सहजीवों के प्रति हमारा रवैया कितना संवेदनात्मक हो—सहज अनुमान्य है। परिवार नियोजन जरूरी है, पर साथ-साथ वृक्ष सवर्धन का काम भी उतनी ही तेजी से हो। फिर हमारा जीवन और भी उपलब्धियों से भर उठेगा। □

अध्यक्षा,
अर्थशास्त्र विभाग,
एस० एस० एल० एन० टी०
महिला महाविद्यालय,
धनबाद-826001 (बिहार)

शिशु एक सुख अनेक

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मासिक सार

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 19-6-1984 से 21-6-1984 तक और 5 से 7 जुलाई, 1984 तक क्रमशः केरल और तमिलनाडु राज्यों का दौरा किया तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की ।

जिला-स्तर के अधिकारियों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन 2 से 4 जुलाई, 1984 तक विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था तथा इसमें 65 उम्मीदवारों ने भाग लिया था । इस कार्यशाला में जिला कलेक्टर/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना अधिकारी तथा बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

संकर नस्ल के बछड़ों को पालने तथा डेरी यूनिटें स्थापित करने के बारे में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी 18 से 20 जून, 1984 तक आन्ध्र प्रदेश के तिरुपति नामक स्थान पर आयोजित की गई थी । संगोष्ठी ने अनेक उपयोगी सिफारिशें कीं जिनसे विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में इस योजना को सुचारु रूप से चलाए जाने में सहायता मिलेगी ।

31 मई, 1984 तक संकलित की गई सूचना के अनुसार, 1.50 लाख लाभभोगियों को सहायता दी गई है । इसमें से 0.50 लाख लाभभोगी (जो 33.3 प्रतिशत बनते हैं) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जातियों के हैं ।

सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में, सूखा-ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात में भेड़ विकास परियोजना की मध्यावधि समीक्षा केन्द्रीय दल द्वारा की गई ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए :—

(1) ग्रामीण पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन उम्मीदवारों के लिए ग्रामीण सामाजिक अनुसंधान और ग्रामीण विकास की पद्धति पर दो पाठ्यक्रम ।

(2) "आज की विकास-पूरक आवश्यकताओं में ग्रामीण महिलाएं" पर एक संगोष्ठी ।

(3) (क) लघु कृषक योजना पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने, (ख) पशुपालन कार्यक्रमों के प्रबन्ध, और (ग) ग्रामीण विकास के प्रशिक्षण पर तीन कार्यशालाएं । इन कार्यक्रमों में 224 उम्मीदवारों ने भाग लिया ।

(4) गौहाटी स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र में "ग्रामीण विकास परियोजनाएं तैयार करने और उनका मूल्यांकन करने" पर एक पाठ्यक्रम ।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण) श्री पी० डी० वशिष्ट तथा ए० रामाराव, उप-महानिदेशक, ग्राम प्रौद्योगिकी विकास परिषद् को 25 से 28 जून, 1984 तक बोगरा, बंगला देश में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में "प्रोब्लम एण्ड प्रोस्पेक्ट्स आफ लिंकेज आफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च" पर एस०ए० आर० सी० कार्यशाला में भाग लेने के लिए भेजा गया । □

ग्रामीण विकास की कुंजी: प्रौढ़ शिक्षा

वायु, जल तथा जीव का पर्यावरणीय संबंध

अंकुश्री

पौधा और प्राणी के रूप में हमारे इर्द-गिर्द करोड़ों जीव फैले हुए हैं। इन जीवों के अस्तित्व तथा विकास के लिए जल और वायु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज हमारी पृथ्वी पर जितने जीव हैं वे लाखों वर्षों के सतत विकास के परिणाम हैं।

पृथ्वी की बनावट या इसका तापमान जिस रूप में आज है वह अनेक परिवर्तनों का नतीजा है। पृथ्वी के तप्त वातावरण में पहले न तो कोई जीव था और न जीने की परिस्थिति ही थी। पृथ्वी पर जीने योग्य परिस्थिति बनने में लाखों वर्ष लग गए। पृथ्वी पर अनेक उथल-पुथल होने के बाद आज जैसी संतुलित स्थिति बन पायी है। पृथ्वी को इस संतुलित स्थिति को बनाने में आकाश, वायु, जल, स्थल, जीव आदि पर्यावरणीय घटकों का योगदान है।

वायु, जल तथा जीव पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक हैं, जिनके अनुपात का प्रकृति की साझेदारी में बहुत बड़ा महत्व है। वायु, जल एवं जीव का अनुपात गड़बड़ाने से पर्यावरण पर बहुत बुरा असर पड़ता है और प्रकृति का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है।

हमारे चारों ओर प्रकृति में वायु, जल तथा जीव सर्वत्र फैले हुए हैं। प्रकृति का जीवमंडल हमें सर्वत्र और व्यापक रूप में दिखायी देता है, वायु तो सर्वव्यापी है ही। प्रकृति में फैले जीव और वायु की तुलना में जल की मात्रा दिखायी कम पड़ती है। लेकिन यह एक आश्चर्यजनक सत्य है कि पृथ्वी के पूरे पर्यावरण में व्याप्त जीवमंडल के भार से वायुमंडल का भार 300 गुना अधिक है और जलमंडल का भार 69,100 गुना अधिक है।

पृथ्वी की सतह पर मौजूदा खनिजों, वनों, वन्य-प्राणियों, मनुष्यों, नदियों, पहाड़ों आदि के बीच सामंजस्य का एक निश्चित क्रम है। सामंजस्य के इस निश्चित क्रम में हुए फेर-बदल का पर्यावरण पर सीधा असर पड़ता है।

वायुमंडल के जिस घेरे से पृथ्वी के जीवधारियों को हवा मिलती है उसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसके ऊपर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्ट्रेटोस्फीयर है और तब आयनोस्फीयर की अंतिम परत है।

ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर का अलग-अलग महत्व है। वायुमंडल की ये सभी परतें पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच विभिन्न किरणों को अवशोषित एवं नियंत्रित करती हैं। पृथ्वी की निकटतम रक्षा परत ट्रोपोस्फीयर रूपी घेरा है, जिससे छन कर सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती है। आयनोस्फीयर का घेरा अंतर्ग्रहणीय हानिकारक किरणों से हमारी पृथ्वी की रक्षा करता है।

पृथ्वी की इन रक्षा परतों के बनने में लाखों वर्ष लगे हैं। इन रक्षा परतों से एक तरफ हमारी पृथ्वी के जीवधारी प्रभावित होते हैं तो दूसरी तरफ पृथ्वी के जीवधारियों का इन रक्षा परतों पर प्रभाव पड़ता है।

वायु का कुल वजन 5 लाख अरब टन है। सब जीवधारी हवा का उपयोग करते हैं। यदि पृथ्वी पर जीव-संख्या कम हो जाए या उनका अनुपात बदल जाए तो इसका असर वायुमंडल पर भी पड़ेगा। यदि किसी कारण से वायुमंडल का दबाव कम हो जाए तो इसका असर जीवन पर पड़ेगा ही, पृथ्वी का जलमंडल भी फैल जाएगा। इस तरह वायु, जल तथा जीव का पर्यावरण पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

जीवधारी अपनी आवश्यकतानुसार वायुमंडल से जीवनतत्व प्राप्त करते हैं। प्राणियों द्वारा छोड़ी गई कार्बनडायआक्साइड पेड़-पौधों द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और पेड़-पौधों द्वारा छोड़ा गया आक्सीजन प्राणियों के उपयोग में आ जाता है। इस तरह अनेक अन्य तत्वों के लिए भी पेड़-पौधे तथा प्राणी परस्पर जुड़े हैं।

वनों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल के चक्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। एक समय था जब पृथ्वी पर करीब 120 खरब एकड़ भूमि वनाच्छादित थी। लेकिन अब पृथ्वी को बमुश्किल 60 खरब एकड़ भूमि पर वन बचे हुए हैं। वनों के अभाव में वायुमंडल गरम हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप समुद्री जल की सतह ऊपर उठ रही है। औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की वृद्धि तथा वनों के अभाव के कारण वातावरण में कार्बन-डायआक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है।

कार्बन-डायआक्साइड की बढ़ रही मात्रा से वायुमंडल के तापक्रम में निरंतर वृद्धि हो रही है। यदि कार्बन-डायआक्साइड की मात्रा अनवरत बढ़ती रहे तो स्थिति यहां तक पहुंच सकती है कि पृथ्वी का तापक्रम बढ़ते-बढ़ते असह्य हो जाए और समुद्रों तथा नदियों का जल खौलने लगे। बढ़ते हुए तापक्रम का प्रभाव पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्रों पर पड़ने से हो सकता है कि वहां जमी बर्फ पिघल जाए और पृथ्वी पर जल प्रलय की विभीषिका उत्पन्न हो जाए।

वनों से वायुमंडल की विषाक्तता कम होती है। जितने अधिक वन होंगे वातावरण उतना ही शुद्ध एवं स्वच्छ रहेगा।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

प्रधानमंत्री के मुख से

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय विकास परिषद की 37वीं बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि आयोजना राष्ट्र निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, इसके जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़कर विकास के लिए अपने प्रयासों में सामाजिक न्याय को सबसे पहली प्राथमिकता देकर विभिन्न क्षेत्रों में एक-दूसरे के अधिक निकट आते हैं । विकास के हमारे मार्ग के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं जिनपर हमें गर्व है। एक नये भारत के निर्माण के अभियान में मिलकर काम करते हुए एकता की ये भावना एक अमूल्य भावना है और यह भावना आयोजना और इसमें निहित परिकल्पना के कारण पैदा हुई है ।

श्रीमती गांधी ने कहा कि किसी नई योजना का निर्माण करना इस बात पर निर्भर करता है कि हमने पिछली योजना में कितना काम किया है । यही वह आधार होता है जहां हम अपना काम शुरू करते हैं । लेकिन इस में नई दिशाओं का भी पता चलता है । भारत में आयोजना के बुनियादी लक्ष्य समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं । आज हम, अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे में एक परिवर्तन लाने के काम में जुटे हैं। यह एक बहुत बड़ा काम है । पिछले 35 वर्षों के दौरान आत्म-निर्भरता के लिए विकास के सन्दर्भ में कृषि और उद्योग का आधुनिकीकरण करना हमारा मुख्य लक्ष्य रहा है । विकास केवल विकास की खातिर नहीं रहा । सामाजिक न्याय पर अत्यधिक बल देना हमारी कार्यनीति का एक अभिन्न तत्व रहा है । सामाजिक परिवर्तन के लिए हमारे संघर्ष के फलस्वरूप मिली उपलब्धियां ऐतिहासिक महत्व रखती हैं । ये सहमति पर आधारित हैं । और इनसे राष्ट्र में एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ है जिसके आधार पर एक सुदृढ़, जीवन्त और स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं पार की जा सकती हैं ।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में उन महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान पर बल दिया जाएगा जो आज हमारे आम लोगों को सहन करनी पड़ रही हैं । इसके उद्देश्य को इसमें निर्धारित बुनियादी प्राथमिकताओं में व्यक्त किया जा सकता है । ये प्राथमिकताएं हैं-- भोजन, काम और उत्पादकता ।

कृषि विकास

श्रीमती गांधी ने कहा कि कृषि की लगातार उच्च विकास दर, विशेषकर अनाज उत्पादन में, औद्योगीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है । गरीबी को कम करने और अपने लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह इतनी ही महत्वपूर्ण है। आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए निर्धारित कार्यनीति गतिशील कृषि, विशेषकर तिलहन आदि के उत्पादन से जुड़ी हुई हैं। इनके आयात पर काफी धन खर्च करना पड़ता है । इस प्रकार अनेक दृष्टिकोणों से कृषि के विकास पर जोर देना सातवीं योजना का महत्वपूर्ण आधार बन जाता है ।

श्रीमती गांधी ने आगे कहा कि छठी योजना का रुख उत्साहवर्धक है लेकिन हमें कुछ बुनियादी कमजोरियों से निपटना है । हमारा मुख्य कार्य हरित क्रांति का प्रसार ऐसे क्षेत्रों में करना है जहां यह अभी तक नहीं पहुची है । पूर्वी क्षेत्र, जहां अत्यधिक गरीबी है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि विकास की दर या तो स्थिर रही या इसमें मामूली प्रगति हुई है । सिंचित और वर्षा पर निर्भर भूमि में चावल की फसल में वृद्धि के लिए साहसी और विवेकपूर्ण कार्यक्रम शुरू करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च कृषि विकास दर से हमें रोजगार की समस्या को, जो कि हमारे लिए चिंता का कारण बनी हुई है, सुलझाने में सहायता मिलनी चाहिए । कृषि और उद्योग के विकास का ढांचा इस तरह से होना चाहिए जिसमें हम अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकें । विकास का क्रम जन संसाधनों के विकास और सामाजिक सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ चलना चाहिए ।

उन्होंने आगे कहा कि हमें सभी के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-बुनियादी सुविधाएं, शहरी विकास, आवास, स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में निरक्षरता को दूर करने और जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए सहायता देने के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना है । इन क्षेत्रों में बहुत अधिक धन के निवेश की आवश्यकता है क्योंकि ये मानव-पूंजी तैयार करने में सहायक होते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं । वे लाभकारी रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं ।

औद्योगिकीकरण

श्रीमती गांधी ने कहा कि हमें औद्योगिकीकरण के अगले चरण के बारे में सावधानीपूर्वक सोचना है । यह औद्योगिकीकरण क्षमता के बेहतर उपयोग, कम लागत पर विस्तार और आधुनिकीकरण पर आधारित होना चाहिए । सातवीं योजना में उद्योग के नए क्षेत्रों में कार्यकुशलता, प्रतियोगिता और आधुनिकीकरण के लिए काम करना होगा । हमारे व्यापक और विविध औद्योगिक आधार में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की क्षमता है जिससे हम अपनी बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । हमें इसकी वास्तविक क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति निर्देश देने और इसके ढांचे को सुदृढ़-संस्थागत बनाने में हिचकना नहीं चाहिए । यहां सार्वजनिक क्षेत्र को आगे आना चाहिए

क्योंकि त्वरित औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया में यह प्रमुख साधन है ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार को बढ़ाने की हमारी नीति तभी सफल होगी जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था की बहुमुखी उत्पादकता को बढ़ा सकेंगे । बुनियादी रूप से काम के बारे में यह एक पूरी तरह नए दृष्टिकोण के विकास का मामला है । नव-परिवर्तन, संगठनात्मक शक्ति, सफलताओं पर गर्व और राष्ट्रीय लक्ष्यों को निरन्तर प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना, उत्पादकता के नए ढांचे के आवश्यक तत्व हैं ।

लोगों का सहयोग

श्रीमती गांधी ने तेज और अधिक कुशल कार्यान्वयन के माध्यम के रूप में योजना में लोगों का अधिकाधिक योगदान प्राप्त करने का आग्रह किया । उन्होंने कहा कि योजना और लोगों के बीच बुनियादी सम्बन्ध है । जिला और खण्ड स्तर तक आयोजना की विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से कार्यक्रमों को तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने में लोगों के योगदान को सुनिश्चित किया जा सके, गरीबी हटाने सम्बन्धी हमारे कार्यक्रम को जीवन्त वास्तविकता में बदलने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है । जब लोग अपने हितों के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सरकारी तंत्र के साथ मिलकर कार्य करने के लिए संगठित होंगे तब सामाजिक जागरूकता बढ़ेगी तथा इससे गरीबी उन्मूलन के अभियान को नई गति व शक्ति मिलेगी । हमें विकेन्द्रीकरण के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सचेष्ट रहना है । इसके लिए सभी दलों को सहयोग करना चाहिए ।

केन्द्र राज्य सहयोग

आयोजना की राजनीति जटिल है । आयोजना राज्य व केन्द्र दोनों का संयुक्त उपक्रम है । हम जब आयोजना के महत्वपूर्ण कार्य को हाथ में लेते हैं, हमें विभिन्न दबावों का सामना करना पड़ता है ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक ही है । किन्तु इन दबावों से हमें इस तथ्य से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए कि योजना केन्द्र व राज्यों के बीच पूर्ण सहयोग के आधार पर ही सफल हो सकती है । राज्य में किस तरह की सरकार है इसे दृष्टिगत रखे बिना केन्द्र ने सदैव बिना किसी राज्य के प्रति भेद-भाव बरते कार्य किया है । ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रीय विकास के मसलों में दलगत विचार आड़े नहीं आने चाहिए । यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि नियोजित विकास का राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तभी कारगर हो सकता है जब केन्द्र संतुलित क्षेत्रीय विकास एवं ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के आम लोगों के उत्थान हेतु प्राथमिकताएं निर्धारित करने में मुख्य भूमिका अदा करे ।

सातवीं योजना की चुनौतियां हमारी परीक्षा होंगी । योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रोजगार पर मुख्य रूप से ध्यान देने के साथ-साथ हमें अन्य कार्यक्रमों पर भी उसी तत्परता से ध्यान देना होगा । पांच प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अठारह सौ अरब रुपये के परिव्यय की व्यवस्था करने से हम पर काफी दबाव रहेगा । विदेशी सहायता का वातावरण अनुकूल नहीं है । हमें अपनी समाजवादी नीति के आधार पर आत्मनिर्भरता के लिए तेजी से आगे बढ़ना है । हम समय की कीमत समझेंगे तभी विज्ञान व प्रौद्योगिकी के नये आयाम खुलेंगे । ये वास्तव में बड़ी चुनौतियां हैं । किन्तु हमारा देश बड़ा है । जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि हम अपने को बड़ा समझें तभी हम बड़े कार्य कर सकते हैं । भारत की महानता के लिए कार्य करते हुए हम स्वयं भी कुछ बेहतर बनेंगे, अभी हम जैसे हैं उससे बेहतर । हमें सातवीं योजना में इसके लिए और तेजी से बढ़ना चाहिए ।

विभिन्न सम्प्रदायों में सौहार्द कायम रखने एवं हिंसा को खत्म करने का प्रयास ही विकास व प्रगति के लिए सही वातावरण तैयार करने व उसे बनाए रखने के लिए हमारी मौलिक आवश्यकता है ।

हम एक हैं तथा हम सभी को मिलकर आगे बढ़ना है । वास्तव में यही हमारी योजना प्रक्रिया का वास्तविक आधार है ।□

वायु, जल तथा जीव का पर्यावरणीय संबंध

(पृष्ठ 5 का शेषांश)

वर्तमान परिस्थितियों के कारण वायु-मंडल के बढ़ते हुए ताप एवं प्रदूषण के परिणामस्वरूप अनेक समुद्री जीवों का अस्तित्व खतरे में आ गया है। जलमंडल का जीवनचक्र असंतुलित हो गया है। समुद्री पौधों एवं मछलियों की उत्पादन शक्ति दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। पृथ्वी के लिए आक्सीजन उत्पन्न करने में एक प्रकार समुद्री पौधों/फाइटोप्लांट्स, का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समुद्री तल पर उगने वाले ये पौधे समुद्र में विभिन्न स्रोतों से पेट्रोलियम पदार्थ एवं कल कारखानों के उच्छिष्ट बहा दिए जाने के कारण नष्ट होते जा रहे हैं।

वनों की कमी से वन्यप्राणियों के जीवन पर प्रश्नचिह्न लग गए हैं। प्राणियों एवं वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और कुछका विलोपन जारी है । न केवल हूंवेल और हाथी जैसे विशाल प्राणी एवं बरगद और साल जैसे बड़े वृक्ष ही पर्यावरण को प्रभावित करने वाली इकाइयां हैं, बल्कि सूक्ष्म जीवों का भी पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है। अनेक सूक्ष्म जीव वृक्षों की छाया में पलते हैं। वनों की कमी के कारण इन सूक्ष्म जीवों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है।

विलुप्त हो रहे इन जीवों को संरक्षित नहीं किए जाने से समस्त पर्यावरण छिन्न-भिन्न हो जाएगा।

प्रकृति की हर छोटी-बड़ी इकाई वायु, जल एवं जीव के माध्यम से पर्यावरण को प्रभावित करती है।

निकट 19 बटालियन, एन० सी० सी०, रांची-834009 (बिहार)

ऊर्जा के अक्षय स्त्रोत : ये पेड़ पौधे

डा० उमेश चंद्र पाण्डेय

पौधों से ऊर्जा प्राप्त करने के अपने प्रयासों के दौरान वैज्ञानिकों को बहुत से ऐसे पौधों का पता चला है, जो सूर्य के प्रकाश (सौर-ऊर्जा) का कुछ भाग हाड्रोकार्बनों के रूप में संचित करने की क्षमता रखते हैं। यह खोज इस दृष्टिकोण से भी उपयोगी है कि पेट्रोलियम भी विभिन्न हाइड्रोकार्बनों का जटिल मिश्रण होता है, जिसमें ऊर्जा-उत्पादन का सर्वाधिक अंश हाड्रोकार्बनों का ही है। पिछले दशक से ऊर्जा संकट की विश्वव्यापी समस्या से निपटने के लिए मनुष्य उन सभी स्रोतों की खोजबीन में लग गया है, जिनसे ऊर्जा प्राप्ति की तनिक भी संभावना है।

उनहत्तरवीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वनस्पति विज्ञान शाखा के अध्यक्ष तथा पर्यावरण विभाग, भारत सरकार के सचिव डा० टी० एन० खुशु ने मैसूर में बताया कि जैविक द्रव्य (बायोमास या पौधों) से भारत देश की ऊर्जा सम्बन्धी सभी समस्याओं को तो नहीं सुलझाया जा सकता है, लेकिन इसके आधार पर देश की जीवाश्म ईंधन (फासिल फ्यूल) पर निर्भरता कुछ हद तक कम की जा सकती है।

अपने अध्यक्षीय भाषण में डा० खुशु ने कहा—इस समय जीवाश्म ईंधन के संरक्षण (कन्जरवेशन) और ऊर्जा के नवीन स्रोतों का पता लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर विकसित करने में ऊर्जा का विशेष महत्व है। भारत में कुल ऊर्जा का 40 प्रतिशत लकड़ी, 36.15 प्रतिशत कृषि अवशेष तथा शेष 20 से 25 प्रतिशत गोबर से प्राप्त किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत तथा शहरों के 51 प्रतिशत घरों में ऊर्जा के इन्हीं स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है।

जैवद्रव्य (बायोमास) के अनेक आर्थिक सामाजिक तथा पर्यावरणीय लाभ होने के बावजूद विकासशील देशों में नीति-निर्धारक, नियोजक तथा आर्थिक सहायता देने वाली एजेन्सियों (संस्थाओं) को इस दिशा में समुचित ध्यान देना चाहिए।

मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में पौधों से ऊर्जा प्राप्त करने की बात लगभग 10–15 लाख वर्ष पुरानी है। ये पौधे सूर्य-प्रकाश से ऊर्जा को संरक्षित करते हैं; जिससे ठोस, तरल और गैस ईंधन के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पौधे ऊर्जा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में, पौधों का उपयोग किए जाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लखनऊ के निकट बन्थरा नामक स्थान में "जैवराशि अनुसंधान केन्द्र" की शुरुआत से किया। आगामी वर्षों में देश के विभिन्न अंचलों में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना किए जाने की योजना विचाराधीन है।

"ऊष्मा-ऊर्जा" के साथ ही कुछ पौधों से दूध जैसा द्रव (लैटेक्स) भी प्राप्त होता है, जो डीजल (पेट्रोल) के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है। अब तो लकड़ी के आंशिक आसवन (फ्रैक्शनल-डिस्टीलेशन) से कई अन्य ईंधन गैसें तैयार की जा रही हैं।

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि हमारे देश की लगभग 6 हजार हैक्टेयर भूमि कृषि हेतु अनुपयुक्त है, क्योंकि यह ऊसर व बंजर है। कृषि योग्य भूमि की कमी को और न बढ़ने देने के लिए ऊसर क्षेत्रों में "ऊर्जा पादपों" या "पेट्रो-पौधों" का उगाया जाना आवश्यक हो गया है।

नाइट्रोजन स्थिरीकारक पादपों को उगाकर ऊसर तथा बंजर भूमि में नत्रजन प्रतिशत बढ़ाकर उन्हें उपजाऊ बनाया जा सकता है। अनुपजाऊ भूमि में कई ऐसे पौधों की जातियों को विकसित किया जा रहा है जो क्षारीय भूमि में भी वृद्धि कर सकते है, अतः जैवकीय उत्पादकता (बायोमास प्रोडक्सन) तथा उनकी उर्वरक आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाना चाहिए।

अभी विभिन्न ऊर्जा पादपों (पेट्रो-पौधों) तथा जलाऊ लकड़ी वाले पौधों की आवश्यकताओं, विभिन्न वातावरण तथा मिट्टी की दशाओं व कृषि तकनीक के उपयोग का अध्ययन करना शेष है। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु "बायोमास केन्द्रों" की स्थापना करना जरूरी है। बन्थरा केन्द्र पर वर्ष 1982–83 में शीघ्र बढ़ने वाली 14 जातियों के 35,000 वृक्षों को लगाने की योजना स्वीकृत हुई थी।

पता चला है कि पश्चिमी अफ्रीका में कुछ नत्रजन स्थिरीकारक पौधे, मृदा में 25 से 100 प्रतिशत तक नत्रजन स्थिर कर सकते हैं। हमारे देश में प्रोसोपिस, जुल्फलोरी व ल्यूसीना, ल्यूकोसिफैला (केन बबूल), मिट्टी की क्षारता (एल्केलीनिटी) कम करने में उपयुक्त पाए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बन्थरा केन्द्र पर जलाऊ लकड़ी के लिए एकेसिया; एलबिजिया; टरमीनेलिया; दलबरजिया; प्रोसोपिस; मोरिन्गा तथा शीघ्र बढ़ने वाली झाड़ियों जैसे—सेसबानिया ग्राण्डीफ्लोरा; ल्यूसीनिया ल्यूकोसिफैला आदि को भी उगाए जाने की योजना है। अन्य उपयोगी पौधों (एलीन्थस, एसेक्लसा, एस्पांडियस, मैन्जीफैरा आदि) का भी प्रयोग किया जाएगा।

वैज्ञानिकों का यह भी प्रयास है कि कृषि अवशेषों को "पशु-आहार" (कैटिल फीड) के रूप में कैसे उपयोग में लाया जाए ? पौधों से डीजल (पेट्रोल) उत्पाद प्राप्त करने की दिशा में बन्थरा केन्द्र, लखनऊ, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सहयोग से रूपरेखा तैयार कर रहा है।

यह कहना समीचीन होगा कि यदि बायोमास में अन्तर्निहित सम्पूर्ण ऊर्जा शक्ति, व्यवस्थित साधनों से सफलतापूर्वक प्रयोग में लाई जा सके तो वह निकट भविष्य में हमारी ऊर्जा सम्बन्धी जरूरतों के एक बड़े अंश की पूर्ति करने में समर्थ सिद्ध होगी।

इस प्रकार बायोमास जन्य ऊर्जा हमारी अनेक समस्याओं को हल करने के साथ ही हमारे सामान्य जीवनस्तर को भी ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध होगी—मुख्यतः ग्रामीण अंचलों में। □

बी–12, माडल टाऊन, बरेली–243005

येलागिरी का जादुई लैम्प

कभी आपने सोचा है कि अलादीन का चिराग कहां गायब हो गया ? आपको एक अच्छी खबर देते हैं। यह चिराग तमिलनाडु के अरकोट जिले की येलागिरी पहाड़ियों पर वहां के गरीबी से पीड़ित आदिवासियों के दुख-दर्द को धीरे-धीरे दूर करने फिर पहुंच गया है। हां, इसने अपना रूप बदल लिया है। अब यह एक धातु के लैम्प के स्थान पर बहूद्देशीय वृहत सहकारी समिति लिमिटेड के रूप में कार्य कर रहा है।

येलागिरी पहाड़ियों में रहने वाले 3,755 आदिवासी छोटी अंधेरी फूस की झोंपड़ी में अब भी आदिम अवस्था में रहते हैं। येलागिरी में, इस समिति की स्थापना से पहले दलाल आदिवासियों का शोषण करते थे। प्रत्येक परिवार के पास सरकार द्वारा आबंटित कुछ जमीन है। वे अपनी जीविका चलाने के लिए चन्दन के पेड़ों की कटाई के अलावा इस क्षेत्र में बहुतायत से पैदा होने वाले अखरोट और इमली बेचते हैं। उनकी वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 150 से 200 रुपये के बीच हुआ करती थी। अब इस सहकारी समिति के कारण यह आय बढ़कर 1500 रुपये हो गई है।

इस क्षेत्र की प्रमुख फसलें समई, कुम्बू, पनई, वारगू, रागी, धान और गन्ना हैं। टमाटर यहां की प्रमुख नकदी फसल है। खेती का ढंग अब भी पुराना है। अभी यहां के लोगों को उर्वरकों के प्रयोग, कीटनाशकों, आधुनिक कृषि उपकरणों, सिंचाई जल प्रबंध और यहां तक कि अधिक पैदावार देने वाली उन्नत किस्मों की भी जानकारी नहीं है।

इन आदिवासियों को सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की मुख्य धारा में लाने और उनका दलालों द्वारा शोषण रोकने के उद्देश्य से वर्ष 1977 में येलागिरी पहाड़ी आदिवासी वृहद बहूद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड (लैम्प) की स्थापना की गई थी। इस समिति का मख्य उद्देश्य आदिवासी ग्रामीण दस्तकारों और कृषि श्रमिकों को ऋण, अन्य सेवाएं तथा रोजगार, उत्पादन एवं आय बढ़ाने वाली सभी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करना है। आज यहां लैम्प (वृहद बहूद्देशीय सहकारी समिति) शतप्रतिशत आदिवासी आबादी को कृषि औजार, उर्वरक, बीज आदि उपलब्ध करवा रही है। साथ ही सहकारी समिति के सदस्य कुटीर एवं लघु स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को भी शुरुआत कर रहे हैं। यह समिति इस क्षेत्र के इन लोगों को उनकी घरेलू और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुएं भी उपलब्ध कर रही है।

लैम्प इन आदिवासियों से उनके कृषि उत्पादों को खरीदकर बाजार भाव पर बेचता है। इस प्रकार यह आदिवासियों को दलालों के शोषण से बचाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक भी इस समिति (लैम्प) के माध्यम से आदिवासियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं।

आदिवासियों के अपने ही रीति-रिवाज और एक अलग ही सामाजिक जीवन होता है। वे सभी एक जाति के होते हैं। वे लोग मैदानी लोगों से शादी करने का विचार भी अनुचित समझते हैं। इनमें से कुछ लोग अब भी तंत्र-मंत्र और जादू-टोना करते हैं। आर्थिक विकास के साथ-साथ उनके जीवन में भी धीरे-धीरे परिवर्तन आ रहा है। साक्षरता भी अब बढ़ रही है। रूढ़ियां धीरे-धीरे टूट रही हैं। कुछ ही वर्षों में येलागिरी पहाड़ियां आर्थिक गतिविधियों से चहचहा उठेंगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दस्तक गांवों के द्वार पर

ममता विश्नोई

गांव वासियों की आर्थिक समस्याओं के सम्बन्ध में यह जरूरी हो गया है कि घटनाओं पर चटखारे लेकर फिजूल में सिर्फ चर्चे ही न किए जाएं, वरन जो सही हालात हैं, उनकी तह में उतर कर पिछड़ेपन के बुनियादी कारणों की खोज की जाए। बेबाक निर्णय लिए जाएं और हिम्मत के साथ कर्म करते रहने का संकल्प जगाया जाए। जहां कहीं सपना टूटने का अंदेशा हो, वहीं से फिर नया सूरज उगाया जाए और ग्रामीण औद्योगिकी का प्रकाश फैलाया जाए।

ग्राम्य विकास के लिए यह आवश्यक है कि जो शिल्प और उद्योग हमारे गांवों में सदियों से चले आ रहे हैं, उन्हें उन्नत दिशा दी जाए। ग्रामीण कारीगर बगैर किसी यांत्रिक शक्ति और वाह्य ऊर्जा की मदद लिए सस्ते पदार्थों को ऐसी वस्तुओं में बदल लेते हैं जो देश और विदेशों में बड़ी संख्या में बेची जा सकती हैं। छेनी हथौड़ा, भट्ठी, या बढ़ई का सामान जो कि साधारण लीवर, सूकी सतह या पेंच आदि के सिद्धान्त पर आधारित है, भारतीय शिल्पी कच्चे माल को उपयोगी बनाने में आज भी इन्हें अपने साधनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। किन्तु आज, प्रतियोगिता के युग में किसानों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों के लिए उत्तम औद्योगिकियां उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। उन्नत औजार, उपकरण और विधियां ही हमारे गांवों तथा कस्बों के विघटित हुए उद्योगों एवं शिल्पों को पुनर्स्थापित करा सकते हैं। रोजगार के नए साधनों में भी वृद्धि हो सकेगी।

इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य चल रहा है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत स्थापित 40 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा अनेक विभागों द्वारा भी औद्योगिकियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् जैसी अनेक संस्थाओं ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को 1,500 से भी अधिक नई एवं विकसित विधियों का भण्डार उपलब्ध कराया है जिनमें से 80 प्रतिशत विधियां लघु उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं तथा उन्हें गांवों के विकास हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है।

हम उधर देख रहे हैं, वे इधर देख रहे हैं

गांवों के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान गांवों की समस्याओं ने आकृष्ट किया है। उधर गांव वासी खुद बेताब हैं। अपना जीवन स्तर उठाने के लिए वे कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन सही कोम नहीं सूझता। जबकि बहुत से क्षेत्र अभी ऐसे हैं, जिनमें उपयुक्त औद्योगिकी का इस्तेमाल गांवों में किया जा सकता है जैसे कृषि एवं वन संपदा पर आधारित उद्योग, भवन निर्माण पदार्थ और आवास, ऊर्जा, परिवहन, कला एवं शिल्प, करघा, लघु कुटीर उद्योग इत्यादि।

प्रौद्योगिकियों की खोज एवं चयन के साथ-साथ उन्हें सीधे गांव वासियों तक पहुंचाने का कार्य नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन कर रहा है। नए-नए आविष्कारों को व्यापारीकृत करने तथा उद्यमियों की हर सम्भव सहायता करने के साथ-साथ वह संस्था स्वयं प्रौद्योगिकियों का चिह्नन एवं मूल्यांकन भी करती है।

ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शन भी आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद् एवं शिक्षा विभाग उ० प्र० द्वारा गत नवम्बर 1983 में इसी प्रकार की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। जिसमें माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्पादकता के लिए विज्ञान तथा तकनीकी विषय पर अपने आविष्कारों के मॉडल प्रदर्शित किए। अन्य विषय थे—ऊर्जा बचत की युक्तियां, अवशिष्ट पदार्थों का पुनरोपयोग, प्रदूषण नियंत्रण हेतु सुरक्षित प्रबन्ध, खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं सरंक्षण, मनुष्य निर्मित एवं प्राकृतिक रेशे तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त तकनीक।

इस प्रदर्शनी में देश के कोने-कोने से आये एक सौ से भी अधिक प्रतिभाशाली छात्रों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज की नई पीढ़ी उन्नति और विकास के लिए कृतसंकल्प है। हमारे समाज को उससे जितनी भी आशाएं हैं वह उन सब सपनों को साकार करेगी। हमारी निगाह इन होनहारों पर है और उनकी निगाह विज्ञान पर।

क्षेत्र बहुत व्यापक है

प्रौद्योगिकी का अर्थ केवल मशीनीकरण करना मात्र ही नहीं है वरन् इसका सच्चा मंतलव तो यह है कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए खुद अपनी शक्ति एवं क्षमता के साथ तकनीकी दक्षता को जोड़ दें। ताकि गरीबी मिटाने के लिए

हमें पूर्णतया तकनीकी दक्षता एवं मशीनों के आयात पर ही निर्भर न रहना पड़े।

प्रौद्योगिकी को गांवों तक ले जाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ही सम्पूर्ण जीवन के प्रत्येक ताने बाने को परिवर्तित कर देने की क्षमता है। लेकिन, यह सम्भव तभी होगा जबकि इस दिशा में व्यापक रूप से जन सहयोग प्राप्त हो, हमारे गांव वासी इस बात के प्रति जागरूक हों कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।

ग्रामीण शिल्प एवं कृषि पर आधारित विधियों पर एकत्र सूचना को सुदूर गांवों तक पहुंचाने की दिशा में जन संचार के विभिन्न माध्यम हालांकि प्रभावी भूमिका अदा कर रहे हैं किन्तु फिर भी शिक्षा के अभाव में ग्रामवासियों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अभी भी खुले दिल से नहीं स्वीकारा है। इसके लिए यह जरूरी है कि ग्राम विकास कार्यक्रम में लगी विभिन्न एजेंसियों की प्रणाली भी इस दिशा में मदद करें। विशेष रूप से जिला सूचना कार्यालय, है, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खण्ड विकास कार्यालय, पंचायत एवं सहकारी समितियों के माध्यम से तथा अन्य एच्छिक संगठनों, के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकियों की सूचनाओं का प्रचार प्रसार सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उन्हें कार्यान्वित करने का तरीका बताया जा सकत हैं।

विभिन्न प्रौद्योगिकियां

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फिलहाल कुछ प्रौद्योगिकियां चुनी हैं, जिन पर चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक गांव वासियों के जीवन के किसी न किसी पहलू से अवश्य जुड़ी होंगी।

1. उन्नत बैलगाड़ी "बलवान"

आज जबकि हमारे देश में ही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर काम चल रहा है, गांवों में बैलगाड़ी भी देखी जा सकती है। जो हमारे ग्रामीण परिवहन का चिन्ह तथा बोझा ढोने का साधन है। सदियों पुरानी इस बैल गाड़ी के मूल ढांचे में परिवर्तन के प्रयास ज्यादा पुराने नहीं हैं। हाल ही में सांगली (महाराष्ट्र) के व्यावहारिक विज्ञान स्कूल में बैलगाड़ी के डिजाइन को लेकर कुछ मौलिक परिवर्तन किए गए, जिससे इसकी उपयोगिता बढ़ी है। उस उन्नत गाड़ी का नाम है बलवान।

2. बैलचालित पम्प

मुरादाबाद के श्री एफ० दाउपी द्वारा विकसित, बैल-चालित पम्प-सैट का आशापूर्ण आविष्कार है। तेल और बिजली की परेशानी से बचने के लिए इस प्रकार के महत्वपूर्ण अनुसंधान को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने आर्थिक सहायता प्रदान की है।

3. कृषि-अवशेष-ठोस बनाने की मशीन

धान की भूसी, लकड़ी का बुरादा और मूंगफली के छिलकों आदि को इंधन के रूप में प्रयोग करते समय बड़ी मात्रा में बरबादी होती है। अतः इन्हें एक नया आकार देकर कुशलता से प्रयोग किया जाए। एक छोटी सी मशीन इन कृषि अवशेष पदार्थों के लाभकारी ठोस आकार बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। साथ ही ठोस का रखरखाव या लाना ले जाना भी अपेक्षाकृत सरल रहेगा।

4. गोबर गैस चालित लघु दुग्ध प्रशीतन इकाई

नेशनल रिसर्च डेवलप्मेंट कारपोरेशन द्वारा छोटे किसानों के लिए भंडारित दूध गांवों में ही प्रशीतन करने की प्रौद्योगिकी चिन्हित की गई है ताकि गांव में ट्रक पहुंचने तक दूध खराब न हो तथा इंधन की भी 50 प्रतिशत बचत हो सके बिजली की कमी से प्रशीतन इकाइयां बंद भी रहती हैं तथा परिणाम स्वरुप काफी हानि उठानी पड़ती है।

5. क्लोरीन की टिकियों से साफ पानी

गांवों में जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य रक्षा में बाधा उत्पन्न होती है। सुरक्षित जल की व्यवस्था हेतु बड़ी संरचना एवं जटिल इंजीनियरी चाहिए। अतः राष्ट्रीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान नागपुर, द्वारा विकसित विधि के आधार पर बनाई गई क्लोरीन की टिकियों का प्रयोग उपयुक्त विधि से किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी की व्यवस्था बहुत थोड़े खर्च में की जा सकती है।

6. पत्तों से दोने बनाने की मशीन

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर द्वारा विकसित, पत्तों से प्याले नुमा दोने बनाने की छोटी सी मशीन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि हाथ से दोने बनाने में समय, श्रम बहुत लगता है। मात्र 3000/- रु० मूल्य की यह मशीन उन परिवारों की आय में वृद्धि कर सकती है जो कृषि कार्य के अभाव में गांव में रहकर ही उपयोगी रोजगार चाहते हैं।

7. लघु सीमेंट संयंत्र

देश में सीमेंट की मात्रा पर्याप्त अधिक नहीं है। साथ ही गांवों तक सीमेंट बहुत मुश्किल से पहुंचता है। अतः वर्टिकल शैफ्ट पर आधारित उपयुक्त प्रौद्योगिकी के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित किए जा सकते हैं। यह नवीन प्रौद्योगिकी नेशनल रिसर्च डवेलपमेंट कारपोरेशन नई दिल्ली द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित की गई है। इस संयंत्र से दो से पांच टन तक सीमेंट प्रतिदिन निर्मित किया था जा सकता है।

मशीनीकरण द्वारा बेकारी का भय तो जटिल प्रौद्योगिकी से होता है। जबकि ग्रामीण प्रौद्योगिकी का उद्देश्य गांव वासियों की आय में वृद्धि तथा जान लेवा श्रम से राहत दिलाना होता है। इन मुद्दों पर योजना आयोग के बल देने पर कौंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा सेंटर फार एप्लीकेशन आफ साइंस एण्ड टेक्नोलोजी फार रूरल डवेलपमेंट की स्थापना अक्तूबर 1978 में की गई थी ताकि हमें पुरानी और घटिया प्रौद्योगिकी पर ही निर्भर न रहना पड़े। क्योंकि काम करने के परम्परागत तरीकों

से विकास के नए आयाम खोजना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी नए दौर में

हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के बढ़ते हुए महत्व, इसकी आवश्यकता एवं संभावनाओं को देखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा उर्जा के वैकल्पिक साधनों एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रसार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना का कार्य आरम्भ किया गया है। ताकि ग्राम जनता को नई से नई विभिन्न तकनीकों से अवगत कराया जा सके। इन नव-स्थापित केन्द्रों में नई बैलगाड़ी व्हील बैरेज, धान कूटने की नई मशीन, बालबैयरिंग युक्त चक्की, पानी खींचने का यंत्र, बारह तकुए वाला चरखा, रस्सी बनाने एवं पत्तों से दोने बनाने की मशीन तथा सस्ते आवास एवं उन्नत कृषि उपकरणों के अतिरिक्त वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों में बायोगैस प्लांट, सौर चूल्हा, धुआं रहित चूल्हा, सूर्य से अनाज सुखाने की मशीन, पानी खींचने का वायु चलित पंप, जनता शौचालय तथा बिजली पैदा करने वाला बायोगैस इंजन भी प्रदर्शन हेतु सर्व साधारण के लिए सुलभ कराए जाएंगे।

इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के दस जिलों में जो केन्द्र खोले जाएंगे उनके नाम हैं :– अझवाड़ (सुल्तानपुर), दाउदनगर (रायबरेली) पत्थर-ताला (इलाहाबाद), भरियानी (कानपुर) तलेहटा (गाजियाबाद), ब्रह्मपुर (सहारनपुर), नौबस्ता (कला) (लखनऊ), नसीरी मोहम्मदपुर (बिजनौर)। शेष जनपदों में भी यह कार्य शीघ्र पूरा करने की योजना चल रही है।□

82/35 लाल कुआं
निकट डाकघर,
गुरु गोविन्द सिंह मार्ग,
लखनऊ।

आओ ! पेड़ लगाएं हम

भंवर लाल खंडेलवाल

पेड़ मेरी धरती की शोभा,
पेड़ हमारा जीवन धन।
पेड़ों से छाया हरियाली,
पेड़ों से सुखमय जीवन।।

सुख समृद्धि पेड़ों से है,
पेड़ों से वर्षा होती।
फल-फूलों से भरी हुई है,
धरती माता की गोदी।।

ऊर्जा का सुन्दरतम साधन,
प्राणवायु जीवन आधार।
वायु-दूषण दूर करें ये,
कर देखो पेड़ों से प्यार।।

सावन के झूले पेड़ों से,
जीवन का आनन्द अपार।
रैन बसेरा पंख-पखेरू,
कलरव का सुन्दर संसार।।

जहां पेड़ है, नन्दनवन है,
बिना पेड़ सूखा संसार।
मरुधर में हम पेड़ लगाकर,
मधुवन सा कर दें विस्तार।।

पेड़ लगाएं पालें-पोषें,
सबका जीवन सुखी बने।
ईंधन, ऊर्जा, औषध देते,
कच्चा माल उद्योग चलें।।

रोजगार-व्यवसाय पेड़ से,
कल-कारखाने जब चलते।
उद्योगों का प्राण पेड़ हैं,
कितने ही निर्धन पलते।।

पेड़ सभी उपयोगी होते,
कोई व्यर्थ नहीं होता।
पर-उपकार पेड़ का जीवन,
थका पथिक सुख से सोता।।

लकड़ी का उद्योग वृक्ष से,
ये श्रृंगार प्रसाधन देते।
खाद्य पदार्थ वृक्ष देते हैं,
फल-मेवे मन-भावन देते।।

वृक्षों से धरती उपजाऊ,
वृक्ष नया जीवन देते।
वृक्षारोपण करे मनुष तो,
वृक्ष न उनसे कुछ लेते।।

पुरखों ने जो पेड़ लगाए,
उनकी छाया खेलें हम।
ऋण तो हमें चुकाना ही है,
आओ! पेड़ लगाएं हम।।

पर्यवेक्षक,
अनौपचारिक शिक्षा
पंचायत समिति, बालेसर,
जिला जोधपुर।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम

की

प्रगति पर विचार-विमर्श

ग्रामीण सलाहकार समिति की बैठक

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री (पूर्व) श्री हरिनाथ मिश्र ने अपने मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में सदस्यों को बताया कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में एक करोड़ 50 लाख परिवारों को सहायता देने का लक्ष्य पूरा हो जाने की आशा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्रगति का उल्लेख करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि योजना के पहले चार वर्षों में ही एक करोड़ 26 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च, 1984 तक अनुदान और ऋण के रूप में क्रमशः 1,189 करोड़ रु० एवं 2,244 करोड़ रु० वितरित किए गए थे। मंत्री महोदय ने कहा कि ये दोनों आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि छठी योजनावधि के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। छठी योजना के पहले चार वर्षों में अनुसूचित जाति और जन-जाति के परिवारों को सहायता देने के 30 प्रतिशत के लक्ष्य में 7.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 1980–81 की प्रति परिवार औसत सहायता 1642 रु० से बढ़कर वर्ष 1983–84 में 3201 रु० हो गई है।

उन्होंने सदस्यों को बताया कि सरकार ने गरीबी की रेखा से ऊपर के परिवारों का आय स्तर बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी और कम रोजगार को घटाने, ग्रामीण निर्धनों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले आधारभूत ढांचे को बनाने तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किए थे।

मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का उल्लेख किया और कहा कि 1620 करोड़ रु० के योजना प्रावधान की तुलना में मार्च, 1984 के अन्त तक 1426.68 करोड़ रु० खर्च किए गए हैं तथा वार्षिक रोजगार के अवसर जुटाने के 3000 करोड़ श्रम दिवसों के लक्ष्य से भी अधिक श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए हैं। मार्च 1984 के अन्त तक जुटाए गए श्रम दिवसों के आंकड़ों से साफ-साफ पता चलता है कि योजना के पहले चार वर्षों में 15000 से 20000 करोड़ श्रम दिवसों के योजना लक्ष्य की तुलना में 14,200 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर जुटाए गए।

मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 1983 को घोषित ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार देने की गारण्टी दी गई है, पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से प्राप्त 586 करोड़ रु० की अनुमानित लागत वाली 186 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और इनसे चालू वर्ष के दौरान 3000 करोड़ अतिरिक्त श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

कृषि उपजों के विपणन की चर्चा करते हुए मंत्री महोदय ने कहा कि 1983–84 के दौरान 79 बाजारों को 96 लाख रु० केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त तथा 361 बाजारों को 276.15 लाख रु० की दूसरी किस्त मंजूर की गई। मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रिड योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गोदाम बनाने के लिए 199 लाख मी० टन भंडारण क्षमता के 509 ग्रामीण गोदामों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। □

श्रम एवं जयते

प्रौढ़ शिक्षा में कैसे प्रथम

प्रभात कुमार सिंघल

राजस्थान में कोटा जिले को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्य के लिए सवा तीन लाख रुपये का प्रथम पुरस्कार मिला। निम्नांकित पंक्तियों के लेखक द्वारा इस सम्बन्ध में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री नारायण लाल शर्मा से पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर यहां प्रस्तुत हैं। आशा है इससे पाठकों और प्रौढ़ शिक्षा के पावन कार्य में संलग्न कार्यकर्ताओं को लाभ होगा और प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रश्न : प्रौढ़ शिक्षा कार्य में प्रथम आने का आप मुख्य कारण क्या मानते हैं ?

उत्तर : इस वर्ष प्रौढ़ शिक्षा कार्य में कोटा जिला राजस्थान में प्रथम रहा, जिसका मुख्य कारण था इसे माननीय प्रधान मन्त्री के नए बीस-सूत्री कार्यक्रम में स्थान दिया जाना।

प्रश्न : ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं ?

उत्तर : यह इस आधार पर कहा जा सकता है कि बीस सूत्री कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति पर विशेष बल दिया गया है तथा इसमें शामिल करने पर जन प्रतिनिधियों का सहयोग मिल सका। गांवों में अनुदेशकों एवं सुपरवाइजरों के कार्य का जिला मुख्यालय से हर समय जायजा लेना सम्भव नहीं था किन्तु जन प्रतिनिधियों—जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, तथा पंचों ने इस कार्य में पूरा सहयोग प्रदान किया। वे हमें केन्द्र की गतिविधियों से अवगत कराते रहे। उनके सुझाव हमारे केन्द्रों के अच्छे संचालन में सहायक बने।

प्रश्न : महिलाओं को केन्द्रों पर लाने में आपको कठिनाई तो आई होगी फिर भी आप उनको केन्द्र तक लाने में सफल कैसे हुए ?

उत्तर : महिलाओं को केन्द्र तक लाना वास्तव में कठिन काम था, पर असम्भव नहीं। इसमें सफलता पाने के लिए सर्वप्रथम तो महिला अनुदेशिका के चयन पर ध्यान केन्द्रित किया गया। ऐसी अनुदेशिका का चयन किया गया जो स्वयं अच्छी पढ़ी-लिखी हो तथा स्वप्रेरणा से इस कार्य को करने के लिए तैयार हो। इसके पश्चात उन्हें उचित प्रशिक्षण दिया गया जिससे उन्हें ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने को प्रेरित किया गया जिससे वे महिलाओं को केन्द्र पर लाने के लिए आकर्षित कर सकें जैसे भजन-कीर्तन व सांस्कृतिक कार्यक्रम। इस हेतु उपलब्ध धन राशि में प्रावधान कर कुछ केन्द्रों पर वाद्य यन्त्र-हारमोनियम, मंजीरा व ढोलक आदि उपलब्ध कराई गईं।

इसके अतिरिक्त गांवों में महिलाओं में प्रौढ़ शिक्षा के प्रति मानसिकता बनाने के दो-तीन दिन के बाद महिला-पुरुष जन-जागरण शिविर लगाए गए। इनमें विभिन्न विषयों पर सरकारी अधिकारियों से वार्ताएं दिलवाने तथा जन प्रतिनिधियों को उपस्थित रखने से गुणात्मक लाभ मिला।

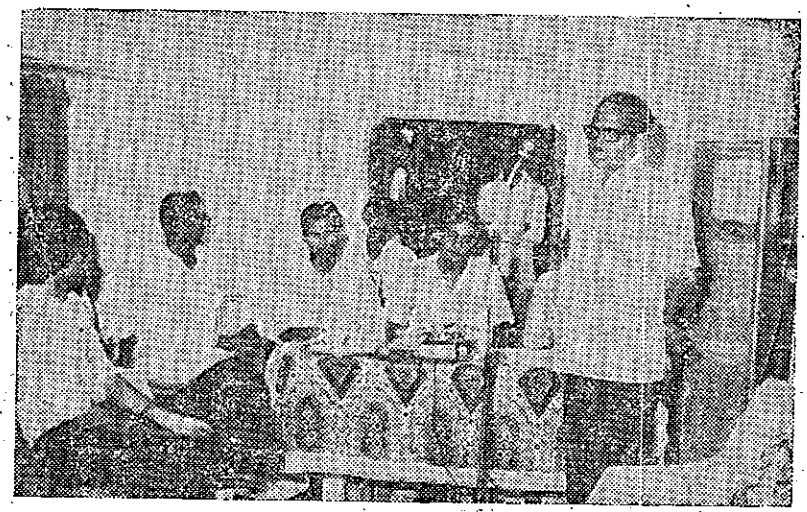

जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी श्री नारायण लाल शर्मा प्रौढ़ शिक्षा की समस्याओं से अवगत कराते हुए।

यह कार्य प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोलने से पूर्व प्रौढ़ शिक्षण समिति कोटा के माध्यम से किया गया ।

साथ ही ग्रामीण अंचलों में पांच या दस प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के प्रौढ़ों एवं अनुदेशकों का किसी एक जगह सम्मेलन रखने की पद्धति को अपनाया गया । इससे जो महिला शिक्षा प्रौढ़ केन्द्रों पर नहीं आती थीं वह वहां एकत्रित हुई और उन्होंने इससे प्रेरणा प्राप्त की ।

प्रश्न : कोई ऐसा विशेष कार्य जो आपने आरंभ किया हो और वह राजस्थान में अन्यत्र न हुआ हो जिसका प्रथम आने में योगदान हो बताएं ।

उत्तर : प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर पढ़ाई के साथ-साथ ही हमने कुछ विशेष बातें कीं जिनसे महिलाओं को प्रौढ़ शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा तथा ये कार्य केवल कोटा जिले में किए जाने का गौरव भी प्राप्त हुआ । विशेषकर, ये कार्य व आदर्श वाक्य लेखन, स्वास्थ्य जांच कार्य, वृक्षारोपण, सीमित परिवार के लिए प्रेरित करना, मद्यपान निषेध, दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, मृत्यु भोज उन्मूलन हेतु संकल्प पत्र भरवाना, ग्राम स्वच्छता सप्ताह एवं श्रमदान, अल्प बचत के लिए प्रेरित करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कृषि प्रदर्शन, चलचित्र प्रदर्शन, कठपुतली प्रदर्शन आदि, इनसे जहां सामाजिक वातावरण में नवचेतना का प्रादुर्भाव हुआ वहीं कूप मंडूकता समाप्त हो जागरूकता का उदय हुआ । हमारा यह कार्य अब राजस्थान में अन्य जगह भी अपनाया जाने लगा है ।

इन बातों से स्पष्ट है कि प्रधान मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा को शामिल करना, जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों के सहयोग एवं समय-समय पर उचित मार्ग दर्शन तथा कार्य का जायजा, उचित प्रशिक्षण व प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों में आपसी तालमेल से कोटा जिले ने राजस्थान में महिला प्रौढ़ शिक्षा कार्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशिकाओं का विराट सम्मेलन ।

उपलब्धियां

श्री शर्मा ने जिले में प्रौढ़ शिक्षा कार्य की प्रगति के विषय में बताया कि जिले में यह कार्य सन् 1979 से प्रारम्भ किया गया । उस वर्ष 8,357 प्रौढ़ों का नामांकन किया गया तथा 4,293 को लाभान्वित कर 51.43 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की थी । वर्ष 1980-81 में 8,143 नामांकन के विपरीत 5,536 अर्थात् 68.03 प्रतिशत तथा वर्ष 1981-82 एवं 1982 83 में क्रमशः 8,642 एवं 7,621 नामांकन की तुलना में क्रमशः 5,830 एवं 4,954 को लाभान्वित कर क्रमशः 68.07 एवं 65 प्रतिशत उपलब्धियां अर्जित की गईं । वर्ष 1982-83 में उत्तर साक्षरता के 6,123 नामांकन की तुलना में 3,946 प्रौढ़ों को भी लाभान्वित किया गया ।

पुरस्कार वर्ष 1983-84 में पंचायत समिति अन्ता, इटावा, लाडपुरा एवं सुलतान पुर में 294 केन्द्रों के माध्यम से 9,440 नामांकन की तुलना में 5,793 प्रौढ़ों को लाभान्वित कर 62.37 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई । इस वर्ष 97 महिला केन्द्रों के माध्यम से 2,175 को साक्षर बनाया गया । साथ ही उत्तर साक्षरता के तहत् 6 केन्द्रों के माध्यम से 314 को लाभान्वित कर 61:75 प्रतिशत उपलब्धि अर्जित की गई ।

इस प्रकार सन् 1979 से 84 तक 6 वर्षों में जिले में प्रौढ़ शिक्षा विभाग के माध्यम से कुल 48,568 प्रौढ़ों का नामांकन किया गया । जिसकी तुलना में 29,725 प्रौढ़ों को लाभान्वित किया गया । इनमें 7,932 महिलाएं एवं 21,793 पुरुष प्रौढ़ों को लाभ मिला ।

श्री शर्मा ने अब तक की अपनी राजकीय सेवाओं में, जहां भी रहे, उल्लेखनीय कार्य करने का गौरव प्राप्त किया है । हिन्दी एवं समाज शास्त्र विषयों में स्नातकोत्तर के साथ-साथ बी० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण कर श्री शर्मा ने अपना जीवन सन् 1950 से राजकीय सेवा से प्रारम्भ किया आप शिक्षा एवं कृषि विभाग में लोक प्रिय अधिकारी रहे ।

1981 से आप प्रौढ़ शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं । 5 सितम्बर, 1979 को आपको उत्कृष्ट शिक्षक की भूमिका एवं श्लाघनीय जन-सेवा कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया गया । उस समय आप झालावाड़ जिले के भवानी मण्डी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक

(शेष पृष्ठ 18 पर)

जिला उदयपुर (राजस्थान) के भुवाणा, सुखेर गांवों से एक रिपोर्ट

घूमन्तु जीवन का चिथड़ों से बना तम्बू-वास छोड़ कर अपने मकानों में रहेंगे

अशोक कुमार यादव

बाबू जी ! अब हमने मांगने-खाने का धन्धा छोड़ दिया है। इस घिनौने कार्य की छाया अपने बच्चों तक नहीं पड़ने देना चाहते, उदयपुर जिले के भुवाणा गांव में रह रहा काल बेलिया जाति का 50 वर्षीय रंगला कुछ साहस जुटा कर बोला।

थोड़ी ही देर में रंगला के मानस पटल पर उदासी छा गई, और कहने लगा हुकम ! अब हमारा परम्परागत घट्टी बांस का धन्धा भी जाता रहा, इस जमाने में अब उसकी कदर कहां है। घट्टी बांस के धन्धे में मेहनत भी अधिक है तो मज़दूरी भी उतनी नहीं मिल पाती। एक घट्टी को बनाने में दो तीन दिन लग जाते हैं और दाम मिलता है 10–12 रुपये। हां, घट्टी टांचने का काम भी मिल गया तो दो तीन रुपये की आमदनी हो जाती है। गोगुन्दा व छाड़ोल की तरफ से पहले की तरह बांस काटकर लाना व बेचना भी अब उतना व फ़ायदेमंद नहीं है।

घुमक्कड़ एवं गरीबी का जीवन बिताने वाली काल बेलिया जाति के 10–15 परिवार भुवाणा गांव के आस-पास पिछले 9 वर्षों से निवास कर रहे हैं तथा पास ही सुखेर गांव में स्थित लघु उद्योग में मंजदूरी कर अपना पेट पालते हैं। अस्थाई डेरा या तम्बू ही इन काल बेलियाओं का अपना घर होता है। जन्म से लेकर विवाह व मृत्यु तक के सारे संस्कार ये अपने इन डेरों में सम्पन्न करते हैं तो उधर इनका वसन्त, सावन, होली, दीवाली, बारहों महीनों के त्यौहार डेरों में ही मना लेते हैं।

आज यहां तो कल वहां, खानाबदोशी जिन्दगी से छुटकारा दिलवाने के उद्देश्य से भुवाणा ग्राम पंचायत में इन काल बेलिया परिवारों को एक स्थान पर बसाने की योजना बनाई तथा नए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के 'गरीब को छप्पर' सूत्र के तहत भुवाणा से एक किलोमीटर दूर सितम्बर, 83 में दस काल बेलिया परिवारों को निःशुल्क आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराए गए।

फिर इनको मकान निर्माण के लिए सहायता देने की बात आयी तो इनमें से 8 काल बेलिया परिवारों को तो ऋण देने का ज़िम्मा भारतीय स्टेट बैंक ने लिया और ग्रामीण आवासीय गृह निर्माण योजना के तहत् प्रत्येक परिवार को तीन हजार रुपये का ऋण दे दिया। एक काल बेलिया परिवार को एल० आई० सी० की ऋण योजना में पंचायत समिति,

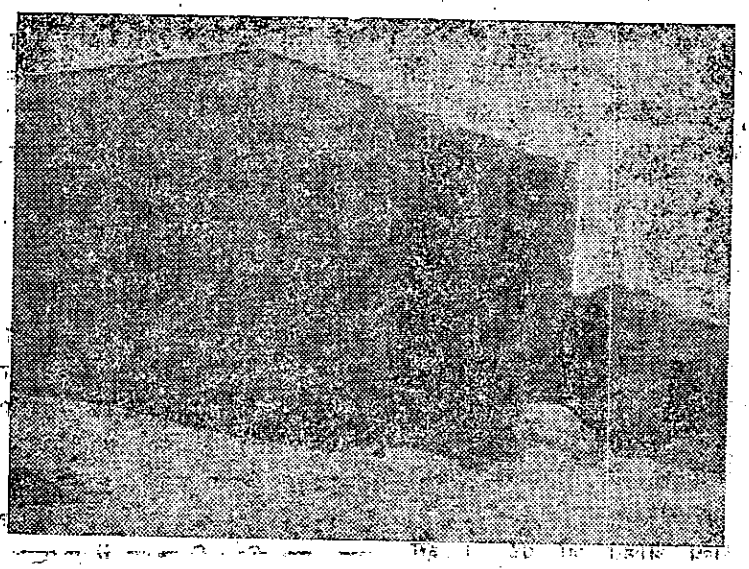

होरा अपने नए मकान में।

बैंक ने मकान निर्माण के लिए 5 हजार रुपये का ऋण मंजूर कराया। इस प्रकार इन 9 काल बेलिया परिवारों ने ऋण सुविधा से, मकान निर्माण का कार्य आरम्भ किया और अब इनके मकान एक ही स्थान पर सामूहिक बस्ती के रूप में बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा प्रताप काल बेलिया ने तो अपना मकान स्वयं ही बिना किसी मदद के यहीं पर बनाया है। इस तरह अब ये 10 काल बेलिया परिवार बांस के डेरों व तम्बुओं में नहीं रहेंगे। वर्षा की मार, सर्दी की ठिठुरन व गर्मी की झुलसन से ये परिवार मुक्त हो जाएंगे। डेरों बबुओं का जीवन छोड़ ये अपने मकानों में नई जिन्दगी शुरू कर दरिद्रता के ऊपर उठने का प्रयास कर सकेंगे।

ऋण सहायता से बनाए गए मकानों में से 5 तो रंगला के परिवार के ही हैं। इनमें से तीन मकान उसके दामादों ने, एक उसके लड़के ने व एक मकान उसने स्वयं ने बनाया है। रंगला अपने इस छोटे से खेमे में सबसे वृद्ध होने के कारण अपने खेमे का नेतृत्व भी करता है। शिक्षा की दृष्टि से इस खेमे में नेतृत्व करता है 22 वर्षीय भैरा जो किसी तरह 6 दर्जे पास कर गया है। पूरे खेमे में वह अकेला पढ़ा-लिखा है।

रंगला बिनती करने लगा, "बाबूजी बैंक से मिले 3 हजार रुपये तो इस मकान के निर्माण पर खर्च कर दिए हैं साथ ही मेहनत मजदूरी से बचाए मेरी जेब के एक हजार रुपये भी मैंने इसके निर्माण पर लगाए हैं। मेरे परिवार की मेहनत तो अलग ही है। 13×9 फीट के मकान में अब फर्श व प्लास्टर का काम बाकी है। दो मास तक इसी आशा के साथ इसके निर्माण पर काम किया है कि मुझे अब उन डेरों में नहीं रहना पड़े। हजूर! सरकार से थोड़ी रकम और दिलाओ तो मेरा मकान और निखर जाए।"

इसी तरह 5 हजार रुपये का ऋण प्राप्त कर तीस वर्षीय हीरा काल बेलिया भी अपने मकान के निर्माण कार्य पर पिछले दो माह से लगा है। इसका 13×9 फीट का एक

परिवार सहित हीरा कालबेलिया अपने डेरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं

कमरा 7 हजार रुपये में बना है, जिसमें से दो हजार रुपये उसके घर के हैं। वैसे देखने में इसका मकान रंगला से अच्छा है पर इसमें साज-सज्जा का काम बाकी है, फर्श भी बनाना है।

हीरा ने बताया कि उसके परिवार में एक पत्नी व दो बच्चे हैं, उसके माता-पिता भी यदा कदा उसके साथ ही रहते हैं। सुखेर फैक्ट्री में वह काम पर चला जाता है तो उसे 10 रुपये मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से मिल जाती है। अपने द्वारा निर्मित मकान को बताते हुए वह खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हीरा बोला, "बाबूजी! मेरे इस मकान के निर्माण में अब वह वर्षा की मार नहीं खानी पड़ेगी, तम्बू में वर्षा की मार बहुत बुरी होती है। उसे याद है कि वह पानी से कितना डरता है, वर्षा के डर के मारे वह तम्बू से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब उसे स्थाई निवास मिल गया है साथ ही चैन की जिन्दगी शुरू करने का मौका भी।"

हीरा उत्साह पूर्वक कहने लगा! "पढ़ाई की क्या बात करते हो। हम सभी तम्बुओं में आपस में यही बात करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। अपने जैसे इन बच्चों को निरक्षर मत रहने दो।" हीरा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कृतसंकल्प है। हालांकि इन दस परिवारों में से किसी ने नसबंदी नहीं करायी है पर इनका मानना है कि बड़ा परिवार नुकसानदायक ही होता है। वे दारू (शराब) का प्रयोग भी अब वार-त्यौहार जैसे विशेष अवसरों पर ही करते हैं। हीरा ने कहा कि बाबू जी! मिल जुल कर रहने से कई फायदे होते हैं और वे सब इसी लीक पर चल रहे हैं।

भुवाणा में सरकारी मदद से एक और मकान 55 वर्षीय भीमा गमेती (भील) का बना है। सबसे पहले उसे रहने के लिए ग्राम पंचायत ने आवासीय भूखण्ड दिया। इसके बाद वर्ष 1981–82 में ही उसे मकान निर्माण के लिए राज्य सरकार की आवासीय गृह निर्माण (अनुदान) योजना में 750 रुपये की अनुदान की सहायता मिली तो उसने मकान निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया। अपना मकान बनाने की प्रेरणा तो सरकार से मिल गई पर भीमा के पास मकान निर्माण के लिए पैसा नहीं था, 750 रुपये की सहायता से मकान कैसे बनता? वह अपना अच्छा मकान बनाना चाहता था। पंचायत भवन से 2–3 फर्लांग दूर ऊंची टेकरी पर आखिर धीरे-धीरे 20×10 फीट का

एक कमरा बना ही लिया। इस मकान के निर्माण पर अनुदान सहायता के अतिरिक्त 3 से 6 हजार रुपये और खर्च करने पड़े। भीमा अब पुरानी झोपड़ी में नहीं रहेगा। नए मकान पर प्लास्टर कराके वह शीघ्र ही इसमें रहना प्रारम्भ करेगा।

भीमा की लगन व सरकारी पैसे का सदुपयोग करने की बात रंग लाई। सरकार ने एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत् दिसम्बर, 1982 में तीन हजार रुपये के मूल्य की एक बकरी इकाई उपलब्ध कराई। मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करने वाला भीमा अब खुशहाल है। बकरियों की संख्या भी अब 15 तक पहुंच गई है। वह दूध व खाद भी बेच देता है। बकरी इकाई के लिए स्वीकृत तीन हजार रुपये के ऋण पर उसे 1450 रुपये की अनुदान सहायता मिली। उसे ऋण में से जनवरी, 84 तक केवल 555 रुपये ही और चुकाने हैं।

भीमा के दो लड़के भी हैं, वे भी उसके कामों में हाथ बंटाते हैं। जब भीमा से पूछा गया कि उसे सरकारी मदद से क्या फायदा हुआ तो वह मन ही मन मुस्कराता हुआ बोला "हुकम! सरकार की मदद ऊंज तो म्हारो मकान बणग्यो न म्हारे छोरा-छोरी ने रोटयां खबावा को साधन मिलग्यो। सरकार री मदद रोईज तो फल है कि म्हने दो टेम री रोटयां आराम ऊं मिलबा लागी है"।

राजस्थान में बड़गांव पंचायत समिति की भुवाणा ग्राम पंचायत में गरीब व पिछड़े वर्गों को आवास सुविधाएं सुलभ कराने की दृष्टि से पिछले चार वर्षों में कोई 75 लोगों को आवासीय भूखण्ड दिए गए हैं। इसमें से सर्वाधिक 58 भूखण्ड वर्ष 1983–84 में वितरित किए गए हैं। ग्रामीण गृह निर्माण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में 39 आवासीय मकानों के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई। इसमें से आवासीय गृह निर्माण (अनुदान) योजना में लक्ष्यानुसार 2 जनजाति के परिवारों के मकान निर्मित हो गए हैं जबकि एल० आई० सी० की ऋण योजना में एक अनुसूचित जाति व एक जनजाति के परिवारों के मकान बनवाए गए हैं। वहीं बैंक की ऋण योजना में 10 अनुसूचित जाति व 22 जनजाति के परिवारों के मकान बनवाए गए हैं।

इसके साथ ही भुवाणा पंचायत में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के तहत वर्ष 1983–84 में 30 जनजाति परिवारों सहित 42 निर्धनतम परिवारों को आर्थिक सम्बल पहुंचाया गया है। यही नहीं भुवाणा ग्राम पंचायत पिछड़े व कमजोर वर्गों के आर्थिक उत्थान एवं उन्हें साधन सुविधाएं सुलभ कराने में भी अग्रणी है। गत डेढ़ वर्ष में ग्राम पंचायत में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। पंचायत सुविधा के लिए पिछड़ी बस्तियों में 7 हैण्डपम्प लगाए गए हैं। सुखेर गांव में पेयजल योजना प्रारम्भ कराई गई है। वहीं बनजारा जाति के 25 परिवारों की सुविधा के लिए 20 हजार रुपये की लागत से एक पेयजल कूप का निर्माण कराया गया है। मेववालों की बस्ती में जिसमें 10 अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं स्ट्रीट लाईट के लिए लाईन डलवाकर खम्भे लगवाए गए हैं। आदिवासियों के सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु एक सामुदायिक भवन का निर्माण करा लिया गया है जिस पर 30 हजार रुपये की लागत आयी है। इसके साथ ही दो आदिवासी मोहल्लों में सड़क, पुलिया व डांगला की मगरी में एक सार्वजनिक विश्राम गृह बनाया गया है।

भुवाणा ग्राम, जो सुन्दर बनाने के उद्देश्य से पूरे गांव में डेढ़ लाख रुपये की लागत से नालियों व खुरों का निर्माण कराया गया है। भुवाणा व सुखेर में 6 सार्वजनिक प्याऊ भी स्थापित कराई गई हैं। भुवाणा के सरकारी व प्राथमिक विद्यालयों व सुखेर के प्राथमिक विद्यालय में एक लाख रुपये से अधिक के निर्माण कार्य कराए गए हैं।

भुवाणा ग्राम पंचायत अब नवनिर्मित काल बेलिया सामूहिक बस्ती में पम्प स्थापित कराने व विद्युत सुविधा सुलभ कराने पर विचार कर रही है।

राजस्थान के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का सुझाव है कि राज्य में बैंकों व अन्य ऋण योजनाओं के माध्यम से मकान निर्माण के लिए गरीब एवं पिछड़े तबके आगे नहीं आ पाते इसलिए अनुदान सहायता से बनाए जाने वाले मकानों के निर्माण हेतु अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। □

जन सम्पर्क अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
सूरजपोल, उदयपुर (राजस्थान)

प्रौढ़ शिक्षा में प्रथम

(पृष्ठ 15 का शेषांश)

पद पर कार्यरत थे। इसी पद पर जयपुर के बस्सी में आपको 1977 में अल्प बचत में जयपुर जिले में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया। 1952 से आप स्काउट कार्यों से जुड़े तथा 1979 में आठवीं राष्ट्रीय स्काउट व गाइड जम्बूरी मराई-मलाई नगर, मद्रास में आपको कन्टेन्जेन्ट लीडर बनाकर भेजा गया। इसके अतिरिक्त कई जिलास्तरीय पुरस्कारों को प्राप्त करने का सौभाग्य भी आपको मिला। □

के० आए० 520,
मालारोड़, कोटा (राजस्थान)
324001

उपयोगी जानकारी अमरूद के बारे में ※ डा० विमला अग्रवाल

हमारे देश में अमरूद बहुतायत में और कई प्रकार का होता है अन्दर से सफेद अमरूद अधिक स्वादिष्ट एवं मीठा होता है। यह सस्ता भी मिल जाता है और अमीर तथा गरीब सभी इसका प्रयोग करते हैं।

100 ग्राम अमरूद में 66 कैलोरी, प्रोटीन 1.5 प्रतिशत, वसा 1.2 प्रतिशत, खनिज लवण 1.8 कार्बोहाइड्रेट 1.9 प्रतिशत, कैलशियम एक प्रतिशत, फास्फोरस 0.4 प्रतिशत तथा आयरन (लोहा) 0.1 प्रतिशत तक पाया जाता है। इनके अलावा पेप्टोन तथा विटामिन (सी) भी होता है। विटामिन सी 299 मि० ग्राम तथा किसी-किसी अमरूद में 300 से 400 मि० ग्राम तक पाया जाता है तथा विटामिन ए० भी पर्याप्त मात्रा में होता है।

अमरूद के गूदे की अपेक्षा उसके ऊपरी छिलके वाले भाग में विटामिन (सी) की मात्रा अधिक रहती है और विटामिन (सी) की कमी से होने वाले रोगों में अमरूद का सेवन लाभकारी सिद्ध होता है।

अमरूद में पाया जाने वाला लोह खनिज उसके बीजों में पाया जाता है, इसलिए अमरूद के गूदे के साथ-साथ उसके बीज भी खाकर लाभ प्राप्त करना चाहिए। लेकिन बीजों को खूब चबा कर खाना चाहिए। इस प्रकार खाने से लोहे का भी शरीर को लाभ प्राप्त मिलता है।

(1) अमरूद का सेवन शरीर से विजातीय पदार्थ (अम्लीय) व वेस्ट पदार्थ बाहर निकालने में शरीर की मशीनरी की मदद करता है। खान-पान को आसानी से पचाता है। विटामिन (सी) अमरूद में प्रचुर मात्रा में रहता है। विटामिन (सी) शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। कार्य क्षमता बढ़ाता है और शरीर में स्फूर्ति, शक्ति, शीघ्र देता है और खून साफ करता है। (2) नित्य अमरूद खाने वाले प्राणी लम्बा जीवन पाते हैं क्योंकि बीमार कम पड़ते हैं। बीमारी से ही शरीर गिरता है और शरीर की मशीनरी की शक्ति कम होती है। अमरूद बड़ा ही बलवर्द्धक फल है।□

विमला अस्पताल, बुलंदशहर

दूध : एक आदर्श आहार ※ अशोक कुमार

दूध ही एक एसा आहार है जिसमें संतुलित भोजन के प्रायः सभी तत्व–प्रोटीन (केसीन), वसा, खनिज–लवण, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट लेक्टोज, जल इत्यादि उचित मात्रा में विद्यमान हैं। साथ ही, इसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा इत्यादि भी उत्तम वर्ग के हैं। कैसीन के रूप में दूध के प्रोटीन का विशेष पोषक महत्व है। इसमें उत्तम प्रकार के ऐमिनो–अम्ल विद्यमान हैं। लेक्टोज के रूप में इसके कार्बोहाइड्रेट का शोषण पूर्ण रूप से हो पाता है। इसमें वसा के कण अवलम्बित रूप में रहते हैं साथ ही, इन वसाओं का द्रवणांक कम रहता है, जिसके कारण यह पूर्ण रूप से शरीर में शोषित होकर पच जाता है। दूध की वसा के समान दूसरी कोई वसा शीघ्र नहीं पचती है। दूध में कैल्सियम के लवण और फास्फेट रहते हैं, जिससे हड्डियां बनती हैं। अतः दूध बच्चों का एक आदर्श भोजन है। व्यावहारिक रूप से भी हम पाते हैं कि बालक या बछड़ा मां का दूध पीकर ही बढ़ता है और स्वस्थ तथा पुष्ट रहता है।

दूध की बनावट

स्रोत के अनुसार से दूध की बनावट में भेद हो जाता है, लेकिन प्रत्येक प्रकार के दूध में कोई विशेष मौलिक भेद नहीं है। यह दी गई तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

माता और गाय के दूधों का तुलनात्मक अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि माता के दूध में गाय के दूध की-अपेक्षा अधिक शर्करा तथा कम प्रोटीन और वसा है। अतः शिशुओं को गाय का दूध पिलाते समय उसमें थोड़ा पानी और चीनी मिला देना आवश्यक है।

दुग्ध प्रोटीन दूध में केसीन और एल्व्यूमीन के रूप में प्रोटीन रहता है। अकसर सभी प्रकार के ऐमिनो-अम्ल इसमें विद्यमान रहते हैं। अतः शरीर में इसका पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है। दूध में शर्करा लेक्टोज के रूप में रहता है। इसमें कैल्सियम, लौह, क्लोराइड तथा फास्फेट नामक खनिज-लवण पाए जाते हैं। साथ में, ताजे दूध में प्रत्येक प्रकार के विटामिन भी रहते हैं। जिनका उत्तम स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्व है।

तालिका

दूध	प्रोटीन	वसा	शर्करा	लवण	जल
मां	1.7	3.0	6.3	0.3	87.5
गाय	3.5	3.5	5.0	0.7	87.8
भैंस	5.0	5.0	4.4	0.5	85.1
बकरी	3.6	4.2	4.0	0.5	87.5
भेड़	5.2	6.2	4.2	1.0	83.6
गदही	1.9	1.4	6.5	0.5	90.1

गोबर तेरे लाभ अनेक

मदन गोपाल गुप्ता

हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भोर के समय आप जाकर देखें तो पाएंगे कि गऊएं और बछड़े-बछड़ियां रंभाते, उछल कूद मचाते हुए गांव से निकल-निकल कर कच्चे धूल भरे रास्तों से होती हुई चरागाहों और खेतों की ओर जाती मिलेंगी। अधिकतर ग्रामीण बालाएं सिर पर तसले या हाथों में बाल्टी लटकाएं गऊओं के पीछे-पीछे जा रही होंगी और जहां गायें ने गोबर गिराया ये दौड़ी गोबर उठाने मानो कोई बहुमूल्य वस्तु राह चलते पड़ी पा गई हो। कई बार तो इसी गोबर के लिए गोबर में सने हाथों से यह बालाएं एक दूसरे की चुटिया पकड़ती हुई मिलेंगी। एक कहेगी यह गोबर मेरा, दूसरी कहेगी यह गोबर मेरा। क्या करेंगी यह गोबर का कभी सोचा आपने ? शायद आप कहेंगे कि उपले बना कर जलाएंगी और क्या करेंगी। ठीक है उपले तो बनाएंगी ही साथ ही यह अन्य कई उपयोगों में लाया जाएगा। आपको यह मालूम होगा ही गोबर ाद बनाने के भी काम आता है। किन्तु हमारे हरियाणा के किसान गोबर की खाद का महत्व जानते हुए भी, गोबर की खाद के लिए उपयोग करने में शायद इतने जागरूक नहीं हैं, जितना कि ग्रामीण महिलाएं इस के उपले बना कर जलाने के लिए चिन्ताशील रहती हैं। जलाने से फालतू बचे तो ईंटों की भट्टी आदि लगाने के लिए यह उपले बेचे भी जाते हैं।

प्राचीनकाल से 'गोबर धन' या 'गोधन' कहा जाता है। हमारे सभी ग्रामीण भाई ऊपर बताए गए गोबर के उपयोगों और गुणों से तो परिचित हैं ही, किन्तु कभी यह भी सोचा आपने कि प्राचीन काल से गाय के गोबर को लेकर हमारे ग्रामीण समाज में कितनी परम्पराएं प्रचलित हैं। पुनीत अवसरों पर ही नहीं, अपितु नियमित रूप से हर ग्रामीण महिला अपने घर आंगन, चूल्हे, चौके और ड्योढ़ी को गोबर से लीपती हैं। त्यौहारों आदि विशेष अवसरों पर दीवारों व चौक को गोबर से लीप कर, उस स्थान को पवित्र समझा जाता है और इस स्थान पर पूजा आदि की जाती है। नागपंचमी हो या अहोई पूजा, दशहरा पूजन हो या गोवर्धन पूजा, गोबर से लिपाई पोताई करके ताजे गोबर के ही उपले रखकर पूजन आदि किया जाता है। नगरों में तो यहां तक देखा गया है कि दशहरे और गोवर्धन पूजा वाले दिन गोबर आम बेचा जाता है। वह मायके जा रही हो या लड़की सुसराल, घर की बड़ी औरतें विदाई के बाद ड्योढ़ी में घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर गाय के गोबर से पुताई करके उस पर कुंकुम से पांच या सात सतिये (स्वास्तिक चिह्न) बना कर दरवाजे के दोनों ओर पानी डाल कर फिर घर में पांव रखती हैं। इन सब बातों से स्पष्ट है कि हमारी संस्कृति में गाय के गोबर का कितना महत्व है। प्राचीनकाल से हमारी भारतीय संस्कृति में गुणों के अनुसार गाय के गोबर को पवित्र माना गया है। हमारे पूर्वज गाय के गोबर से भली-भांति परिचित थे, इसीलिए तब से आज तक हमारा समाज पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इसका उपयोग करता आ रहा है।

हमारे आयुर्वेदिक ग्रन्थ गौमूत्र तथा गाय के गोबर, दोनों के महत्वपूर्ण औषध कारी गुणों से भरे पड़े हैं। छोटे बच्चों का जिगर बढ़ गया हो तो गौमूत्र में काला नमक मिला कर पिला दो तो बच्चा ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक मतानुसार गौमूत्र को गर्म, बुद्धिवर्धक, कफ व वातनाशक, रक्तपित नाशक, शक्तिदायक, खुजली, मुंह, आंख जिगर व पेट और गुदा रोगों में लाभकारी माना गया है। खांसी, कोढ़, कीड़ों आदि का इलाज करने के लिए पुराने वैद्य गाय के पेशाब का उपयोग आज भी करते हैं। सुप्रसिद्ध सिद्धमकरध्वज नामक महान शक्तिदायक दवा में भी गाय का पेशाब शुद्धिकरण के काम आता है। इसी तरह गाय के गोबर के रस से पागलपन की दवा बनाने के वर्णन मिलते हैं। तपेदिक तथा अन्य रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इसे बड़ा उपयोगी माना गया है। इसीलिए तपेदिक के मरीजों को गोबर से पुते मकानों में रखना अच्छा बताया गया है।

पिछले दिनों अखबारों में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार वैज्ञानिक भी गोबर के इन गुणों को मानने लगे हैं। इटली के एक वैज्ञानिक प्रो० सी० ई० वीरगेट ने खोज की है कि गाय के गोबर में टी० बी० अर्थवा तपेदिक के कीटाणुओं का नाश करने का गुण है। इस खोज के आधार पर इटली के उन हस्पतालों में जहां तपेदिक के मरीजों का इलाज किया जाता है, जिन्हें 'सैनीटोरियम' कहा जाता है, गाय के गोबर का काफी उपयोग किया जाने लगा है। अब हमारे वैज्ञानिक यह मानने लगे हैं कि तपेदिक और मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों में गाय का गोबर बड़ा लाभकारी है।

महाराष्ट्र में कुमारप्पा गोवर्धन केन्द्र पुसद ने वर्षों के अनुसंधान के बाद गाय के गोबर से एक ऐसा साबुन तैयार किया है जो स्वास्थ्य एवं सौंदर्य को बढ़ाता है और चर्मरोगों से त्वचा की

रक्षा करता है। वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए और विषैले कीटाणुओं का नाश करने के लिए देश में गाय के गोबर से अगरबती व धूप भी बनाई जाने लगी है।

जैसा कि पहले भी बताया गया था कि हमारी बुजुर्ग औरतें अब गांव के बाहर से आकर किसी विशेष अवसर पर घर में दाखिल होती हैं, तो गाय के गोबर से पुती दहलीज पर पांव रख कर भीतर जाती हैं, क्या इससे स्पष्ट नहीं होता कि पुराने जमाने में यह रिवाज इसीलिए चलाया गया होगा ताकि गांव की गंदी गलियों से पांव में लगे गंदे कीटाणु गाय के गोबर के सम्पर्क में आकर नष्ट हो जाएं।

इसीलिए तो पुराने जमाने से यह धारणा चली आ रही है कि गोबर से पुते घर-आंगन में रहने वालों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसके इसी संक्रामक कीटाणु-नाशक गुण के कारण से ही तो हमारी पूर्वज कच्चे मकानों की दीवारों व फर्श आदि की पुताई गोबर से करती थीं। विशेषत: प्रसूता (जच्चा) के कमरे की पुताई गोबर से ही करते थे और इस कमरे में गोबर के उपले जलाकर धुंआं किया जाता था ताकि भीतर के वातावरण में कोई कीटाणु न पलें। यदि गोबर के इतने महत्व से हमारे पूर्वज अनभिज्ञ होते तो क्या इससे चूल्हा चौका, जो कि पवित्र होता है, को गोबर से लीपने की प्रथा चलती।

यह तो सभी जानते हैं कि गोबर में नाइट्रोजन फास्फोरस, पोटाश आदि मुख्य तत्वों के अतिरिक्त अन्य उपयोगी गौण तत्व भी हैं जो फसलों के लिए लाभकारी हैं। गोबर में पाई जाने वाली मीथेन गैस ही तो गोबर गैस संयंत्र के द्वारा ईंधन के रूप में जलाने के लिए काम में लाई जाती है। हमारी जनसंख्या वृद्धि अन्न उत्पादन की वृद्धि से अधिक है। अत: हमारे लिए हमारी उपज वृद्धि में सहायक गाय के गोबर का महत्व और बढ़ जाता है। रासायनिक खादें बहुत महंगी होने के कारण से भी गाय के गोबर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। किन्तु हमारे किसान भाई अभी इस दिशा में इतने जागरूक नहीं हुए हैं, जितना कि उन्हें होना चाहिए। अब भी वह गोबर के उपले बनाकर अन्धाधुंध इस अमूल्य धन को जलाने में नष्ट कर रहे हैं।

गोबर गैस संयंत्र के द्वारा हम एक तो गोबर से (धुंआंहीन ईंधन का) उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं, साथ ही इसकी गैस से रोशनी का अतिरिक्त लाभ भी उठा सकते हैं। दूसरी ओर गोबर गैस द्वारा देसी खाद की उपलब्धि भी इसके महत्वपूर्ण योगदान को दोहरा बना देती है।

हमारी पुरातन संस्कृति के अनुसार जब हम गाय के गोबर की पूजा करते हैं तो इसके सभी गुणों को जानकर इसका सही ढंग से उपयोग भी करना चाहिए। तभी हम इसे 'गोबरधन' अर्थात् 'अमूल्य धन' को अपनी पुरातन संस्कृति के अनुसार सुरक्षित रख सकेंगे। □

संपादक
उद्यान पत्रिका
कैथल—132027 (हरियाणा)

श्री लिख्खनलाल की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी

देश निरंतर प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में नई-नई तकनीकी अपनाई जा रही है उससे उत्पादन एवं लागत आदि में लाभ हो रहा है। नई-नई तकनीकी एवं आधुनिक तौर-तरीकों की जानकारी हर क्षेत्र में पहुंच जाने से किसानों को क्या-क्या लाभ हो रहे हैं इसका आभास नीचे की पंक्तियों से लगा सकते हैं।

जिले के बेहर विकास खण्ड के कृषक श्री लिख्खनलाल वल्द सूरतदीवान को सरकार के कृषि विभाग के अधिकारियों ने उत्पादन बढ़ाने हेतु नए-नए तरीके बताए, जिनके अपनाने में श्री लिख्खनलाल को दुगना उत्पादन मिला।

श्री लिख्खनलाल के पास 41 एकड़ जमीन है, जिसमें से वह 23 एकड़ में धान, 5 एकड़ में गन्ना तथा शेष पड़त है। उक्त कृषक धान की स्थानीय किस्म उरईभट्टा, चिपड़ा, मिली लुचई, सठिया, ककेरी आदि बोते थे और जिसका औसतन उत्पादन लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ आता था। परन्तु जब कृषि विभाग के आधुनिक तौर-तरीके अपनाएं तो उसे औसतन 11 क्विंटल प्रति एकड के मान से उत्पादन हुआ। उसने विपुल उत्पादन देने वाली किस्में रतना, वाला, मासूरी, क्रांति आदि बोना शुरु किया।

श्री लिख्खनलाल ने बताया कि मुख्य फसल के साथ-साथ वह पांच एकड़ में गन्ना तथा 3 एकड़ में सब्जी भी बोता है। गन्ना देशी किस्म का है जिसका उत्पादन 4 क्विंटल गुड़ प्रति एकड़ लेता है। उसकी उपज की बढ़ोतरी सरकार के मार्ग-दर्शन से अधिक हुई है तथा उसकी आमदनी भी बढ़ी है। वह निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यदि उसकी मदद एवं उसको जानकारी नहीं दी जाती तो वह अपनी उपज नहीं बढ़ा पाता। हर किसान भाई का फर्ज है कि नई जानकारी ले और उत्पादन बढ़ाए। ●

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं : एक अवलोकन

नरेश चन्द्र त्रिपाठी

बैंक आर्थिक विकास का कारण और परिणाम दोनों हैं। एक ओर जहां विकास के लिए बैंक संसाधनों को संग्रहीत करके आवश्यक एवं अपेक्षित क्षेत्रों में विनियोजित करने में सहायक होते हैं, वहां हमारी ओर बैंकिंग का विकास विकसित अर्थव्यवस्था का एक लक्षण है। इसीलिए सभी विकसित देशों में बैंकिंग क्षेत्र विकसित होता है। ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था की प्रधानता के कारण भारत के आर्थिक विकास का लक्ष्य गांवों को विकसित करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने गांवों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया है जिससे अभाव वाले क्षेत्रों को संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें। जिसके फलस्वरूप धीरे-धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बराबर बढ़ रही हैं। यद्यपि अभी भी ये सुविधाएं आवश्यकता से काफी कम हैं।

स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं नहीं के समान थीं। रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्थापना के साथ ही 1935 में कृषि साख विभाग की स्थापना हुई थी। जिसका कार्य कृषि साख की व्यवस्था करना तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करना था। इस विभाग द्वारा किया गया अध्ययन जो 1939 में प्रकाशित हुआ था इसमें स्वीकार किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वित्तीय आवश्यकताएं महाजनों द्वारा पूरी की जाती हैं। स्वतन्त्रता के बाद 1954 में गठित अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साख की तत्कालीन दशा पर अत्यधिक चिन्ता व्यक्त की थी। उस समय साख का मुख्य स्रोत निजी व्यक्ति 'महाजन' तथा 'साहूकार' ही हुआ करते थे। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने संस्थागत साख की आवश्यकता पर बल दिया था। सर्वेक्षण समिति का निष्कर्ष था कि ग्राम्य वित्त की उपलब्धता आवश्यकता से कहीं कम है। इसने सहकारी साख की आवश्यकता पर बल दिया था। 1954 में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में इम्पीरियल बैंक की ग्रामीण वित्त के सम्बन्ध में उदासीनता के लिए आलोचना की गई थी। रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया था कि बैंक ने ग्राम्य वित्त के सम्बन्ध में अपनी भूमिका नहीं समझी है। समिति ने बैंक की पूंजी बढ़ाकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना का सुझाव दिया था। जिसके क्रियान्वयन में 1955 में स्टेट बैंक आफ इण्डिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग तथा साख का प्रसार करना था। स्टेट बैंक आफ इण्डिया अकेला बैंक होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की भारी साख आवश्यकताओं को पूरा न कर सका। इसकी ग्राम्य क्षेत्र में असफलता के बाद व्यावसायिक बैंकों से अपेक्षा की गई। इसी आशय से इन पर सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया। किन्तु सामाजिक नियंत्रण के बाद भी व्यावसायिक बैंकों की कार्यशैली में परिवर्तन नहीं हुआ। ये बैंक अब भी ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर रहे थे। उधर हरित क्रान्ति के कारण किसानों ने उन्नत खेती अपनाना प्रारम्भ किया। उन्नत बीजों, उर्वरकों, सिंचाई साधनों, कीटनाशकों के प्रयोग के कारण अधिक साख की आवश्यकता हुई। इन परिस्थितियों में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण अनिवार्य हो गया। इसी लिए 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसे आगे चलकर अधिनियमित किया गया। 8 जुलाई, 1969 को उक्त 14 बैंकों के कुल निक्षेप 3051 करोड़ रु० थे। यदि इनमें स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं उसके सहायक बैंकों के निक्षेप सम्मिलित कर दिए जाएं जो 1509 करोड़ रु० थे, तो कुल मिलाकर यह 4560 करोड़ रु० हो जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप बैंकिंग उद्योग का सार्वजनिक क्षेत्र का भाग 27 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीयकरण के अनेक उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य यह था कि अर्थव्यवस्था की विकास सम्बन्धी वित्तीय आवश्यकताओं की बेहतर पूर्ति की जा सके। राष्ट्रीयकरण के अनुकूल प्रभावों को देखते हुए 15 अप्रैल, 1980 को एक अध्यादेश द्वारा निजी क्षेत्र के 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगभग 995 करोड़ रु० की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो गई। इस राष्ट्रीयकरण के बाद 91 प्रतिशत बैंकिंग सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई।

राष्ट्रीयकरण और ग्रामीण क्षेत्र

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का विकास मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े क्षेत्रों में हुआ। बैंक अब लघु एवं सीमान्त कृषकों, छोटे उद्यमियों तथा अन्य ग्रामीण उद्योग धन्धों हेतु अधिक ऋण दे रहे हैं। ग्राम विकास की अनेक योजनाओं एकीकृत ग्राम विकास योजना, 15 अगस्त, 1983 को घोषित शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार योजना, आदि में बैंक वित्तीय साधन उपलब्ध करा रहे हैं। 1969 में घोषित लीड बैंक योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में एक लीड बैंक चुना गया है। यह बैंक जिले में साख की आवश्यकताओं का अनुमान करके क्रेडिट प्लान बनाता है जिसमें विभिन्न बैंकों का क्षेत्रवार (कृषि, उद्योग सेवा) वित्तीय दायित्व निर्धारित किया जाता है।

राष्ट्रीयकरण के समय ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों की 1832 शाखाएं थीं, जो कुल शाखाओं का 22 प्रतिशत था। केन्द्रीय वित्त उप मंत्री द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय (मार्च 1984 में) ग्राम्य क्षेत्रों में बैंकों की 22,316 शाखाएं हैं, जो कुल शाखाओं का 54.3 प्रतिशत है। मार्च 1985 तक राष्ट्रीयकृत बैंकों की 7540 अतिरिक्त शाखाएं ग्रामीण क्षेत्र में खोलने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीयकरण के बाद इन बैंकों की नवीन शाखाएं 62 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में खुली हैं। बैंकों की कार्य पद्धति, जमा एवं ऋण संरचना में भी परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्रों के अनुकूल करने का सरकार ने प्रयास किया है। राष्ट्रीयकरण के समय लगभग 61 प्रतिशत ऋण बड़े उद्योगों तथा बड़े व्यवसायियों को दिया जाता था, जो इस समय घटकर 37.7 प्रतिशत हो गया है। कृषि, लघु उद्योग, फुटकर व्यापारियों, स्वरोजगार हेतु योजनाएं आदि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की उपलब्ध ऋण 1969 के 14.9 प्रतिशत से बढ़कर 31.1 प्रतिशत हो गया है।

ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक :

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अतिरिक्त नव-स्थापित ग्रामीण बैंक भी ग्राम्य क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इन बैंकों की स्थापना का उद्देश्य कृषि, व्यापार, उद्योग तथा अन्य उत्पादक क्रियाओं के विकास हेतु साख सुविधाएं, विशेषतः छोटे और सीमान्त कृषकों, शिल्पकारों आदि को सहायता उपलब्ध कराना है। इस समय देश में 155 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। ग्रामीण तथा व्यावसायिक बैंकों के अतिरिक्त देहाती क्षेत्रों में सहकारी बैंक भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ये बैंक देश के लगभग हर विकास खण्ड से हैं। हालांकि इनकी कार्यशैली व्यावसायिक बैंकों से भिन्न है।

बैंकिंग सुविधाएं कितनी पर्याप्त, कितनी सन्तोषजनक

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का प्रसार ग्रामोन्मुखी हुआ है। गांवों में बैंक की शाखाओं में 12 गुने से भी अधिक वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप ग्रामीणों में बैंकिंग आदतें विकसित हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खाते बढ़े हैं, बचतें गतिशील हुई हैं। लेकिन आज भी बैंक ग्रामीण विकास की साख सम्बन्धी अपेक्षाएं पूरी करने में असमर्थ हैं। "व्यापारिक बैंकों का ऋण देने के बारे में शहरों की ओर ज्यादा झुकाव रहता है। गांवों में जमा व ऋण अनुपात से पता चलता है कि गांवों में जमा किया गया पैसा भी शहरी क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। हालांकि तथाकथित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कृषि भी शामिल है। परन्तु व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए गए कुल उधार में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 15 या 16 प्रतिशत से अधिक कभी नहीं होता। सरकार को पर्याप्त सबसिडी वाले समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लागू हो जाने के बाद भी व्यापारिक बैंक किसी न किसी कारण से उतनी राशि ऋण के रूप में नहीं दे रहे हैं, जितनी देनी जानी चाहिए।" प्रधानमंत्री को शिक्षित बेरोजगारों के स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में अनेक शिकायतें प्रकाश में आई हैं, जहां बैंकों ने उद्योग विभाग से स्वीकृति के बाद भी ऋण नहीं दिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में एक व्यावहारिक समस्या यह भी उत्पन्न होती है कि अधिकांश ग्राहक निरक्षर, या कम पढ़े लिखे होते हैं। इससे वे औपचारिकताओं जैसे धन जमा करने, निकालने आदि के फार्मों को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में बैंक कर्मियों का व्यवहार उनके प्रति उग्र तथा तिरस्कारपूर्ण होता है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि वे नम्रता तथा सहानुभूति पूर्वक उनका काम निबटाएं। एक अन्य समस्या ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों की यह है कि कर्मचारी तथा अधिकारी आवास स्थल ग्रामीण जगहों पर नहीं बनाते वरन् वे निकट के नगरों में ही बनाते हैं। इससे ग्रामीणों से एकरसता तथा निकटता नहीं स्थापित हो पाती। फलतः सम्बन्ध मधुर नहीं रह पाते।

इन व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करके ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं सुखद तथा लाभकारी हो सकती हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि बैंक अपनी साख नीति तथा कार्यशैली में परिवर्तन करें। जिससे ग्रामीण क्षेत्र की बचतें समग्रतः ग्रामीण क्षेत्र में ही विनियोजित हों तथा आवश्यकता पड़ने पर जमा का भी उपयोग इन क्षेत्रों में किया जा सके। बैंक कर्मी ग्रामीण क्षेत्र की जनता की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखकर अपना कर्त्तव्य पूरा करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने के लिए शासन की वचनबद्धता ही आशा का केन्द्र है। नाबार्ड की स्थापना तथा शासन द्वारा इस दिशा में किए जा रहे अन्य प्रयास यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने में सफल होते हैं, तभी ग्राम विकास का स्वप्न साकार होगा। क्योंकि ऐसा होने पर ही वित्तीय संसाधनों को गतिशीलता प्राप्त होगी तथा उनका राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सदुपयोग संभव होगा। □

रामनगर डिग्री कालेज,
रामनगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश

प्रगति के बढ़ते चरण

मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मालती गुप्ता

मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 1983–84 में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 2,38,888 लोगों को लाभ पहुंचाया गया है। लाभान्वितों में 55,524 हरिजन तथा 56,066 आदिवासी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के तहत इस साल के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सागर संभाग सबसे आगे है। संभाग के दमोह, पन्ना और टीकमगढ़ जिलों ने लक्ष्य को पार किया है। इसी के साथ प्रदेश के 14 अन्य जिलों में भी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है।

इस कार्यक्रम के तहत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के जरिए हितग्राहियों को अनुदान के रूप में 23.76 करोड़ रुपये सुलभ कराए गए। फरवरी 1984 तक इस कार्यक्रम के तहत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 86.7 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा छोटे किसानों, सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, गैर-खेतिहर मजदूरों और ग्रामीण दस्तकारों को 33.3 प्रतिशत और आदिवासी हितग्राहियों को 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। सामुदायिक कार्यों के लिए भी 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है। यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1980 से प्रदेश के 459 विकास खंडों में चलाया जा रहा है। प्रदेश की एक तिहाई जनसंख्या हरिजन और आदिवासियों की है और अधिकतम आबादी गांवों में बसती है। इन्हीं ग्रामीण परिवारों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और प्रतिवर्ष प्रति विकासखंड 600 परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को अपनी आय के साधन बढ़ाने के लिए पशु पालन, कुटीर-उद्योग, खेती, सिंचाई जैसे उत्पादक कार्यों के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।

लड़कियों की शिक्षा हेतु मध्य प्रदेश को पुरस्कार

भारत सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए मध्य प्रदेश के सात जिलों, चौदह आदिवासी विकास खंडों, चौदह गैर आदिवासी विकास खंडों और 45 पंचायतों को 32.25 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी स्तरों पर पुरस्कार देने की जो योजना है, ये पुरस्कार उसी के तहत दिए गए हैं।

वर्ष 1982–83 में संबंधित आयु वर्ग के बच्चों के समग्र प्रवेश, प्रतिमाह उनके उपस्थिति, पाठ्यक्रम में सुधार, पिछले वर्ग को छात्राओं की शिक्षा में आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन की योजना, लड़कियों की शिक्षा में समाज का योगदान आदि के आधारों पर इस पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश का चयन किया गया है। पुरस्कृत प्रत्येक जिले को एक लाख रुपये और प्रत्येक विकास खंड को 50 हजार रुपये तथा प्रत्येक पंचायत को 25 हजार रुपये दिए जाएंगे।

चुने गए जिलों में रायपुर, टीकमगढ़, खरगोन, बिलासपुर, सरगुजा, दुर्ग और दमोह शामिल हैं। सर्वोत्तम चौदह आदिवासी विकासखंडों में मानपुर और मोहला (राजन दगांव) बतोली, लुण्ड्रा और अंबिकापुर (सरगुजा-जिला) खरगोन, (खरगोन-जिला) दुर्ग कोंडल, कोंडागांव और चारामा (बस्तर-जिला) बगीचा और जशपुर (रायगढ़) घोड़ा डोंगरी (बैतूल) झाबुआ (झाबुआ-जिला) और नगरी (रायपुर) है। चौदह गैर आदिवासी विकास खंडों में गोटेगांव (नरसिंहपुर), जबेरा, पथारिया (दमोह), दमोह, उज्जैन, बलोदा (रायपुर), सराईपाली (रायपुर), साजा (दुर्ग), निवासी (टीकमगढ़) जतारा 'टीकमगढ़' नीमच, और मंदसौर, पसलवानी (रायसेन) और बेगमगंज (रायसेन) हैं। इसके अलावा 45 सर्वोत्तम पंचायतें भी पुरस्कृत हुई हैं।

औपचारिकस्तर शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के शिक्षा के लिए म० प्र० को 50 लाख रुपये का राष्ट्रीय पुरस्कार भी हाल ही में प्राप्त हुआ है।

एकीकृत बाल विकास परियोजना की निगरानी हेतु समिति

मध्यप्रदेश के सभी एकीकृत बाल विकास परियोजना जिलों में योजना की प्रगति पर निगरानी रखने तथा संचालन और समीक्षा के लिए जिला स्तरीय समन्वयन समितियां गठित करने के

निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर इन समितियों के अध्यक्ष रहेंगे। आदिम जाति कल्याण और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और शिक्षा विभाग के अधिकारी और पोषण विशेष समिति के सदस्य होंगे।

राज्य स्तरीय बाल विकास परियोजना समन्वय समिति की पहली बैठक में दिनांक 24 मार्च 1984 को अतिरिक्त मुख्य सचिव डा० ईश्वरदास की अध्यक्षता में हुई जिसमें यह जानकारी दी गई :

इस वर्ष मई के अंत तक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित नौ बाल विकास परियोजना विकासखंडों में और आदिजाति कल्याण विभाग के 13 विकासखंडों में एकीकृत बाल विकास की संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी। आगामी कुछ वर्षों में प्रदेश के सभी विकासखंडों में एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं लागू कर दी जाएंगी।

अभी मध्य प्रदेश में 70 विकास खंडों में एकीकृत बाल विकास परियोजना लागू है। उनमें से 43 विकासखंडों में आदिम जाति कल्याण विभाग और 27 विकासखंडों में समाज कल्याण विभाग द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

उद्योग विहीन जिलों को सुविधाएं

केन्द्र शासन ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों :—बालाघाट, भिण्ड, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, धार, गुना, झाबुआ, मण्डला, नरसिंहपुर, पन्ना, रायगढ़, सीधी, सिवनी, शिवपुरी, सरगुजा और टीकमगढ़ को उद्योग विहीन जिला घोषित किया है। इनमें से बालाघाट, भिण्ड, छतरपुर, गुना झाबुआ, मण्डला, नरसिंहपुर, पन्ना, शिवपुरी, सरगुजा और टीकमगढ़ बड़े तथा मध्यम उद्योग विहीन जिले हैं।

केन्द्र शासन ने उद्योग विहीन जिलों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तथा राज्य शासन ने बुनियादी सुविधाओं पर होने वाले व्यय का एक तिहाई अधिकतम दो करोड़ रुपये सहायता के रूप में देने का निश्चय किया है। 1982 से 31 दिसम्बर 1983 तक मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने कुल 104 आशयपत्र स्वीकृत किए हैं इनमें से 93 आशय पत्र निजी क्षेत्र, दो आशयपत्र केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उद्योगों को तथा 9 आशय पत्र राज्य सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए जारी किए गए हैं। चार उद्योगों की स्थापना हो चुकी है और उन्होंने उत्पादन भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा 51 उद्योगों का कार्य प्रगति पर है।

बीड़ी श्रमिकों हेतु आवास योजना

प्रदेश में बीड़ी मजदूरों की अनुमानित संख्या 2 लाख 15 हजार 720 है। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय से प्रदेश में बीड़ी श्रमिकों के लिए एक हजार मकान बनाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई थी जिसके प्रथम चरण में 500 मकान निर्माणाधीन हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन

31 दिसम्बर 1983 तक प्रदेश में एक लाख 38 हजार 948 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ मिल रहा था।

इंजीनियरिंग में आरक्षण की नई नीति

प्रदेश के इंजीनियरिंग कालेजों में लागू आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था समाप्त कर शासन ने नई व्यवस्था बनाई है, जिसमें राजस्व संभाग को इकाई माना गया है। संभाग में जितने प्रतिशत आदिवासी और अनुसूचित जाति होंगे इंजीनियरिंग कालेजों में स्थानों का आरक्षण उसी अनुपात में होगा।

नई व्यवस्था के तहत इंजीनियरिंग कालेजों में अब आरक्षण कोटे में 98 सीटें बढ़ जाएंगी। प्रदेश भर की पालिटेक्निक संस्थाओं में कोई 125 आरक्षित सीटें बढ़ जाएंगी।

सरकार ने जो फार्मूला बनाया है, उसके अनुसार प्रत्येक संभाग में अनुसूचित जाति, आदिवासी आबादी का जो अनुपात है, इस क्षेत्र में सीटों का आरक्षण होगा। 1981 की जनगणना को इसका आधार बनाया गया है। उदाहरणार्थ इन्दौर संभाग में हरिजन आबादी की प्रतिशत 10.1 है, जबकि आदिवासी जनसंख्या 37.7 प्रतिशत है। इसी मान से यहां सीटों को बांट दिया गया है। जो० एस० आई० टी० एस० इंदौर में अगले वर्ष 270 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। इसमें अनुसूचितों को 27 और आदिवासियों को एक सौ दो सीटों पर प्रवेश मिलेगा।

नई व्यवस्था के पीछे सरकार की धारणा यह है कि प्रत्येक संभाग के अनुसूचित आदिवासी छात्रों को उसी क्षेत्र के किसी माहविद्यालय में प्रवेश मिल सके। वे आर्थिक दृष्टि से इतने कमजोर होते हैं कि किसी दूरस्थ इंजीनियरिंग या पोलिटेक्नीक कालेज तक आने-जाने का खर्च वहन करने में भी सक्षम नहीं हैं। आदिवासी छात्रों के लिए सीटों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 255 से बढ़कर 436 हो गई है। अनुसूचित छात्रों की सीटें दो सौ तेरह से बढ़कर दो सौ इकतीस हो गई हैं। आरक्षण का जो फार्मूला है उसके अनुसार हरिजनों के लिए 15 प्रतिशत और आदिवासियों के लिए 18 प्रतिशत स्थान आरक्षित है। इस वर्ष 850 सीटें सामान्य श्रेणी की, 227 सीटें अनुसूचित कोटे की तथा 436 सीटें आदिवासी कोटे की रखी गई हैं। पिछले वर्ष कुल 1420 सीटों में 797 सामान्य, 213 अनुसूचित तथा 255 आदिवासी कोटे की थीं। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों का कोटा इससे अलग है।

पालिटेक्निक कालेजों में इस वर्ष 3730 स्थान हैं इनमें 1948 सामान्य, 541 अनुसूचित तथा 831 सीटें आदिवासी कोटे से हैं। पिछले साल पोलिटेक्निक में 3670 कुल स्थानों में 2056 सामान्य 551 अनुसूचित तथा 659 स्थान आदिवासी छात्रों के लिए आरक्षित थे। स्वतंत्रता सेनानी आदि के लिए आरक्षण व्यवस्थाओं में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

कानूनों को जनजातियों के अनुरूप ढालने का फैसला

शासन में मौजूदा कानूनों को जनजातियों की संस्कृति के अनुरूप ढालने का फैसला किया है, ताकि आदिवासी क्षेत्रों में न्यायिक प्रक्रिया का सरलीकरण हो सके और उनकी विधिक समस्याओं को हल करने में मदद मिल सके।

इस संबंध में नीति निर्धारण के लिए मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय जनजाति आचरिक विधि सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री अर्जुनसिंह होंगे। यह सलाहकार समिति म० प्र० में निवास करने वाली 46 अनसूचित जनजातियों में प्रचलित रीति-रिवाजों और परम्पराओं का अध्ययन करेगी। इसके आधार पर जनजातियों में प्रचलित और पंचायती विधियों का संहिताकरण किया जाएगा। समिति यह भी तय करेगी कि आदिवासी के न्यायाधिक प्रशासन की प्रक्रिया के सरलीकरण की क्या संभावनाएं हैं।

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जूरियों की मदद से छोटे-छोटे अपराधों के शीघ्र निर्णय तथा गंभीर अपराधों में आदिवासियों को विशेष विधिक सहायता के बारे में भी समिति सुझाव देगी। ये जूरी स्थानीय आदिवासी भी होंगे। आदिवासी इलाकों में जाति पंचायतों को पुनर्जीवित करके उन्हें आवश्यकतानुसार विधि के प्रशासन में साझीदार बनाया जाएगा। इन क्षेत्रों में तुरन्त न्यायदान के लिए चलित न्यायालयों के गठन के लिए भी यह समिति नीति निर्देश देगी। समिति उनकी सुसंगत विधिक समस्याओं के निराकरण के लिए संकल्पित सामग्री के आधार पर जनजातियों की संस्कृति के अनुरूप ढालने के लिए वर्तमान कानूनों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन एवं विलोपीकरण के संबंध में नीति निर्धारण करेगी तथा समय-समय पर मार्गदर्शन भी देगी।

शासन ने इस समिति में विधि मंत्री एवं आदिम जाति कल्याण मंत्री को उपाध्यक्ष, पांच सलाहकार, तथा सात सदस्य रखने का प्रावधान किया है। शासन ने अशासकीय सलाहकारों में भतपूर्व विधायक श्री वसंतराय उइके को समिति में सलाहकार मनोनीत किया है। इसके अलावा एक प्रख्यात विधिवेत्ता, आदिम जाति के क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान का अनुभव रखने वाले विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को भी सलाहकार बनाया जाएगा। शासन द्वारा मनोनीत विधायक आदिवासी इलाकों के अनुभवी वकीलों को इसका सदस्य बनाया जाएगा।

समिति का मुख्यालय भोपाल होगा। वर्ष में इसकी चार बैठकें बुलाई जा सकेंगी। समिति आदिवासी क्षेत्रों में जहां अपराधी और परिवादी दोनों ही पक्षकार आदिवासी हैं, के संबंध में उनकी परम्परागत संस्कृति, रीति-रिवाजों के अनुसार विशिष्ट रूप से भारतीय दंड संहिता में विभिन्न अपराधों का अनुशीलन और संशोधन भी प्रस्तावित करेगी।

भू-प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान

भोपाल के निकट शीघ्र ही एक जल और भूमि प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी। संस्थान के लिए भोपाल-कोलार मार्ग पर 80 हैक्टेयर भू-खंड का चयन भी कर लिया गया है।

राज्य तकनीकी परिषद् के सभापति उत्पादन आयुक्त श्री एम० एस० सिंहदेव ने बताया कि विदेशी सहयोग से लगभग 10 करोड रु० लागत की यह योजना 7 वर्ष में पूरी होगी। योजना के तहत मध्यप्रदेश की भू-भौतिकी और कृषि शीतोष्ण स्थिति के अनकूल जल और भूमि प्रबंध के विभिन्न आधुनिक वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु शासन ने 26 और 27 मार्च को भोपाल में एक वर्कशाप आयोजित किया। वर्कशाप में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की आवश्यकताओं से परिचित कराया गया। यह जल और भू-प्रबंध प्रशिक्षण परियोजना 1990 में 7 वर्षों की अवधि की समाप्ति पर पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होगी। कुछ चुने हुए कृषकों को भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। देश में अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम के तहत लगभग 79 करोड रुपये की सहायता से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में ऐसी जल और भूमि प्रबंध प्रशिक्षण परियोजनाएं प्रस्तावित हैं।

निजी क्षेत्र में विद्यालय

राज्य शासन द्वारा अब निजी क्षेत्र में केवल उन्हीं स्थानों पर नए विद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जहां न केवल स्कूल भवन बल्कि निर्धारित राशि भी सुलभ होगी।

शासन ने शिक्षा के विस्तार में जन सहयोग की आवश्यक भूमिका को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया है कि अब निजी क्षेत्र में उन्हीं स्थानों पर विद्यालय प्रारम्भ किए जा सकेंगे, जहां कि वे शासन के निर्धारित प्रस्तावों की पूर्ति करते हों। प्राथमिक विद्यालय शुरू करने के लिए अब 60 हजार रुपये लागत का 24×18 का भवन तथा 7 हजार 160 रुपये जमा करने, पूर्व माध्यमिक शाला के लिए 4 कमरों का एक लाख 20 हजार रुपये लागत का भवन व 12 हजार रुपये तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए एक लाख 80 हजार रुपये लागत का 6 कमरों वाला भवन और 44 हजार 300 रुपये नकद जमा करवाने होंगे।

विद्यालय प्रारम्भ करने के प्रस्ताव संभागीय शिक्षा अधीक्षक के जरिए संचालक लोक शिक्षण के पास भेजे जाएंगे। वे प्रस्तावों का परीक्षण कर शासन से स्वीकृति लेंगे। शासन इस योजना के अंतर्गत कोई भवन निर्मित नहीं करेगा। यह सब कार्य जनता को ही पूर्ण करना होगा। प्रस्तावित भवन बाद में शासन की सम्पदा मानी जाएगी। इनकी देख-रेख लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण यांत्रिकी विभाग करेगा।

निर्माण कार्यों हेतु छूट

म० प्र० शासन ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों को लघु निर्माण कार्यों के लिए तकनीकी मंजूरी के बंधन से मुक्त कर दिया है।

अब पंचायतें ब्लाक दफ्तर से तकनीकी मंजूरी लिए बगैर शाला भवन, पंचायत भवन और पहुंच मार्ग आदि का निर्माण कर सकेंगी। इस मामले में उन्हें सिर्फ निर्धारित मानदंडों का पालन करना होगा। इन मानदंडों के बारे में पंचायतों को एक परिपत्र जारी किया गया है। अभी तक पंचायतों को अपने हर प्रस्ताव पर ब्लाक दफ्तर से तकनीकी मंजूरी लेनी होती थी इसमें काफी वक्त बर्बाद होता था। ग्रामीण निर्माण की कई योजनाएं भी अधूरी रह जाती थीं। नई व्यवस्था के तहत पंचायतों को सिर्फ ऊपर से प्रशासनिक मंजूरी भर लेनी होगी। जो पंचायतें अपने पैसे से निर्माण कार्य करना चाहेंगी उन पर यह बंधन भी लागू नहीं होगा।

20-सूत्रीय कार्यक्रम पर विशेष बल

मध्य प्रदेश लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन (संशोधन) अध्यादेश 1983 को अधिनियम का रूप देने के लिए लाया गया। विधेयक राज्य विधान सभा द्वारा ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से शासन ग्राम सेवा तथा देश के विकास के लिए महात्मा गांधी द्वारा संजोये गए सपने को साकार करना चाहता है। पंचायत स्तर पर जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत स्तर पर भी समितियां गठित करना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों को कार्यान्वयन समितियों के मार्गदर्शन एवं अधीक्षण के अधीन लाना जरूरी समझा गया। इसके लिए विधान सभा के गत सत्र में संशोधन विधेयक लाया गया था। मगर समयाभाव के कारण यह पारित नहीं किया जा सका था इसलिए 1983 में अध्यादेश जारी कर दिया गया था जिसे अब अधिनियम का रूप दे दिया गया है।

वनरोपण हितग्राही योजना

राज्य के 21 जिलों के जंगलों से रहित इलाकों में हितग्राही योजना प्रारम्भ की गई है। पश्चिमी, उत्तरी मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ ,तथा रीवा संभाग के 21 जिलों, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, खरगोन, शाजापुर, राजगढ़, सरगुजा, गना, दतिया, भिंड, ग्वालियर, सीधी, सतना, रीवा, शहडोल, रायगढ़, जबलपुर, नरसिंहपुर, बस्तर व खण्डवा जिले हैं, जहां इस योजना को लागू किया गया है।

योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक जिले से 60 हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। भूमिहीन सीमांत व लघु कृषक तथा पशुधन विहीन लोग ही हितग्राही बन सकेंगे। एक परिवार से सिर्फ एक ही व्यक्ति को हितग्राही बनाया जाएगा। वन विहीन व बिगड़ी दशा के आरक्षित व संरक्षित दस एकड़ वन क्षेत्र हितग्राहियों को दिए जाएंगे। ये क्षेत्र इन हितग्राहियों को 30 वर्ष के अनुबंध पर आवंटित किए जाएंगे। इस प्रकार आवंटित भूमि पर यद्यपि हितग्राही का कोई अधिकार नहीं होगा पर, इस भूमि में प्राप्त वनोपज का वह पूरा अधिकारी होगा। आवंटन पश्चात् संपूर्ण भूमि को 10 भागों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष एक भाग में वृक्षारोपण किया जाएगा। इस प्रकार हितग्राही को प्रति वर्ष वृक्षारोपण के लिए एक हैक्टेयर भूमि उपलब्ध होगी।

इस कार्य हेतु वन विभाग द्वारा उचित प्रजाति के पौधे निशुल्क बांटे जाएंगे। प्रजातियों का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि हितग्राही को घास से चारा, बांस, जलाऊ लकड़ी व इमारती लकड़ी समय-समय पर प्राप्त होती रहे। हितग्राही को आवंटित क्षेत्र में लगे वृक्ष काटना प्रतिबंधित होगा। पर, यदि वृक्षारोपण कार्य की सफलता हेतु सड़े वृक्ष काटना आवश्यक हो, तो वन अधिकारी की अनुमति के बाद ही ऐसे वृक्ष काटे जा सकेंगे। हितग्राही द्वारा वनीकरण का काम यदि असंतोषजनक पाया गया, या आवंटित भूमि का अन्य कार्य में उपयोग किया जाता है तो हितग्राही से वन भूमि वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगी। इस दशा में हितग्राही का उसकी आवंटित भूमि से प्राप्त वनोपज पर कोई अधिकार नहीं होगा।

बांस उत्पादन वृद्धि

मध्य प्रदेश में बांसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जोरदार कोशिशें की जा रही हैं ताकि इनकी बढ़ रही मांग पूरी हो सके। गांवों में चौतरफा आर्थिक विकास होने और देश में कागज की खपत बढ़ जाने से बांसों की मांग एकदम बढ़ी है। राज्य में मौजूदा बांस वनों की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर नए पौधे लगाने के लिए कई तरह से कोशिशें हो रही हैं।

राज्य के 23770 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस के वन हेतु उचित देखभाल और वैज्ञानिक तरीके अपनाने के लिए इन्हें डेढ़ हजार भागों में बांटा गया है। इन वनों से हर साल तीन लाख टन बांस निकाले जाते हैं। इसमें से दो लाख टन औद्योगिक कार्यों, खास तौर से कागज मिलों के लिए सप्लाई होते हैं तथा एक लाख टन का उपयोग व्यापारिक कामों के लिए होता है। इसमें से 50 हजार टन कुटीर उद्योगों के काम में लिया जाता है।

बांस वनों की बढ़ोतरी के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें हो रही हैं। बांस से फल खिलते समय बीज की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। फूल वाले क्षेत्रों में पशुओं को चरने से रोकने, अवैध कटाई और आग को रोकने के लिए पूरा ध्यान रखा जाता है।

वनों में डिपो कायम किए गए हैं, जो खेती के कामों, ग्रामीणों, आपात स्कीमों और कुटीर उद्योगों के लिए बांसों की सप्लाई करते हैं। इन कामों के लिए हर साल दो करोड़ बांसों की जरुरत होती है।

भू-खण्ड वितरण

मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 1983–84 में जनवरी 1984 तक बेघर लोगों को 32 हजार 281 भूखंड बांटे हैं और 32 हजार 237 मकान बनाने के लिए चार करोड़ 17 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इस वर्ष का लक्ष्य 50 हजार भूखंड बांटने और 40 हजार घर बनाने का है। □

कुएं का भूत

भगवती लाल व्यास

आज वैशाख की तेरस है। उजले पखवाड़े की तेरस। दो दिन बाद पूनम होगी। महादेव जी का मेला भरेगा। वैसाखी पूनम के दिन मेला भरता है। हजारों यात्री आते हैं। दूर-दूर के व्यापारी भी आते हैं। खूब चहल-पहल रहती है।

हर साल इस पर्व पर बनास में पानी रहता है। कहीं कमर तक तो कहीं छाती तक गहरा पानी। सारे दिन नहाने वालों का तांता बंधा रहता है। नहा-धोकर लोग मंदिर में जाते हैं। दर्शन पूजा करते हैं। भेंट चढ़ाते हैं। मंदिर का घण्टा मुंह अंधेरे बजना शुरू होता है तो देर रात तक बजता ही रहता है।

मगर इस साल मेला फीका रहेगा। बनास में पानी नहीं है। सब पानी की माया है। कालू अपनी चबूतरी पर बैठा हुआ सोच रहा है।

कालू की मां पानी लेने गई है। गांव के सब कुओं का पानी सूख गया है बाग वाले कुएं को छोड़कर। सबेरे से गांव की सब औरतें अपने बर्तन-भांडे लेकर यहीं आने लगती हैं। देर से पहुंचा तो यहां भी पानी हाथ नहीं लगता। दस बजते-बजते कुएं का पेंदा चिलकने लगता है। अभी पूरे दो महीने पड़े हैं जेठ और आषाढ़। कैसे गुजारा होगा। कालू सोचता है और मन ही मन खीजता है।

तभी एक दिन दो ट्रक गांव के बाहर आकर खड़े हुए। ट्रकों में भारी भरकम मशीनें थीं। गांव के लोग ट्रकों के आस-पास इकट्ठा हो गए। कालू भी पहुंच गया। ट्रक से उतरे लोगों ने बताया कि इन मशीनों से गांव में कुएं खोदे जाएंगे। ऐसे कुएं जिनसे पानी खींचने के लिए बाल्टी रस्से की जरूरत नहीं होती। वे लोग अपने काम में लग गए।

कालू समझ गया ये लोग हैण्डपम्प लगाएंगे। कालू पिछले दिनों अपनी मौसी के गांव गया था। उसने वहां हैण्डपम्प देखे थे। उसने गांव वालों को हैण्डपम्प के बारे में बताया। गांव वाले खुश हो गए। चलो, अब पानी के लिए इतनी भाग दौड़ तो नहीं करनी पड़ेगी।

देखते-देखते चार जगहों पर हैण्डपम्प लग गए। अब पानी की कोई परेशानी नहीं थी। खूब ताजा और ठण्डा पानी। जितना चाहो भर लो। कोई रोक टोक नहीं। कोई झगड़ा फसाद नहीं। गांव की प्यास बुझ गई।

धीरे-धीरे लोगों ने हैण्डपम्प पर ही नहाना शुरू कर दिया। अपनी गाय भैंसों को पानी पिलाने भी वहीं लाने लगे। गाय-भैंसें वहीं गोबर करतीं। ठण्डक पाकर गांव के कुत्ते भी वहीं जमा होने लगे। औरतें अपने कपड़े और गूदड़े भी वहीं धोने लगीं। लोग जंगल जाकर दातुन कुल्ला करने लगे। कुछ अंधेरे-अंधेरे हैण्डपम्प के आसपास ही पाखाना भी बैठ जाते। कीचड़ और गन्दगी से वहां बदबू आने लगी थी। मच्छर भिनभिनाते रहते थे और मक्खियां भी अपना डेरा डाले रहतीं। फिर भी लोग पीने का पानी यहीं से भरते थे। पानी और कहीं भी तो नहीं था गांव में। कालू यह सब देखता और दुखी होता था।

जब हैण्डपम्प लगे थे तब आसपास कितना साथ सुथरा वातावरण था और अब वहां खड़े रहना भी मुश्किल था गन्दगी के कारण। कालू लोगों को समझाता कि वे हैण्डपम्प पर गन्दगी न फैलाएं। मगर अकेले कालू की बात कौन सुनता? सबको अपनी-अपनी पड़ी थी। जब सबको अपनी-अपनी पड़ी हो तब लोग दूसरों के बारे में कहां सोचते हैं?

एक दिन कालू का पड़ौसी राधे बीमार हो गया। उसे दस्त और उल्टियां होने लगीं। राधे के पिता शहर में नौकरी करते थे। कालू ही राधे को दवाखाने ले गया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और दवा की चार पुड़ियां बांध दीं। शाम को लच्छू, भंवर और रहमान भी बीमार हो गए। सबको वही शिकायत। उल्टी और दस्त। दवाखाने वाले परेशान हो गए दवाइयां दे-दे कर। एक ठीक होता तो चार और बीमार पड़ जाते। कारण किसी की समझ में नहीं आ रहा था।

कुछ लोग कहते, गांव को नजर लग गई है। कुछ कहते, हैण्डपम्प बड़े अपशकुनी हैं। कोई सुझाव देता उखाड़ फेंको इस कबाड़े को। जितने मुंह उतनी बातें। मगर असली बात किसी की पकड़ में नहीं आ रही थी।

तभी एक दिन सुरेश गांव आया। इस गांव में सुरेश का ननिहाल है। वह शहर में डाक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा है। उसने जब गांव के कई लोगों के बीमार होने की खबर सुनी तो चौंक उठा। उसके नाना-नानी भी बीमार थे। सुरेश ने गांव में चक्कर लगाया। हर घर में कोई न कोई बीमार था। उसने हैण्डपम्प भी देखे। हैण्डपम्पों के आसपास कीचड़ और गन्दगी देखी। दूसरे दिन हैण्डपम्पों के पानी का नमूना लेकर सुरेश शहर चला गया।

शाम को ही गांव में एक सरकारी जीप आकर रुकी। इसमें, शहर के अस्पताल के डाक्टर, कम्पाउण्डर, और दूसरे लोग थे। ये लोग अपने साथ दवाइयां, इंजेक्शन, वगैरह भी लाए थे। इन लोगों ने गांव वालों का इलाज शुरू किया। धीरे-धीरे लोग ठीक होने लगे।

दो रोज बाद जब ये लोग जाने लगे तो डाक्टर साहब ने गांव वालों को इकट्ठा करके पूछा—"क्या आप लोग जानते हैं, गांव में यह बीमारी क्यों फैली?"

(शेष पृष्ठ 29 पर)

कम लागत से जल्दी आय

अरुण कुमार सिंह

देश की बढ़ती हुई आबादी के साथ समस्याओं का बढ़ना स्वाभाविक है। आज हमारे सामने सबसे प्रमुख बेरोजगारी की समस्या है जिसका निदान अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है ऐसे लाभकारी व्यवसायों की जो थोड़ी पूंजी और सीमित साधनों से चालू किए जा सकें। मुर्गीपालन एक ऐसा श्रेष्ठ एवं उपयोगी व्यवसाय साबित हो सकता है। घरेलू व्यवसायों में मुर्गीपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मुर्गी के अण्डों को यदि व्यावसायिक महत्व देते हुए या इस धन्धे को आमदनी का विशेष जरिया मानकर चलाया जाए तो निश्चय ही घरेलू व्यवसाय के रूप में यह एक लाभकारी अतिरिक्त आय साधन बन सकता है।

आज से दस पन्द्रह वर्ष पूर्व मुर्गीपालन अधिकांशतः आंगन में मुर्गीपालन तक सीमित था परन्तु आज अनेक बड़े मुर्गीपालक दस हजार से पन्द्रह हजार तक मुर्गियां पालते हैं। मुर्गीपालन के लिए सरकार किसानों को काफी प्रोत्साहन देती है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के माध्यम से इस व्यवसाय की पर्याप्त प्रगति संभव है।

भारत सरकार किसानों को मुर्गीपालन के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराती है वे निम्नलिखित हैं :—

(1) मुर्गी फार्म स्थापित करने के लिए ऋण
(2) मुर्गी के चूजे खरीदने के लिए अनुदान (50%)
(3) मुर्गियों के लिए उचित दाम पर दाना देने के लिए प्रबन्ध
(4) मुफ्त टीका लगाने की सुविधा
(5) रोग की जांच के लिए प्रयोगशालाएं
(6) मुफ्त इलाज
(7) दाना जांच करने की प्रयोग शालाएं
(8) विपणन सुविधाएं
(9) पशु पालन विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों में मुर्गीपालन के प्रशिक्षण का प्रबन्ध
(10) मुर्गियों का बीमा, विशेष रियायती किश्त पर।

मुर्गियों का समुचित तथा सन्तुलित आहार मुर्गीपालन धन्धे का एक महत्वपूर्ण अंग है। भली भांति पालन-पोषण तथा सन्तुलित आहार देने से मुर्गियां 6 माह में अण्डा देना शुरू कर देती हैं। सन्तुलित आहार मिश्रण घर में भी तैयार कर सकते हैं अथवा कठिनाई होने पर बाजार से तैयार मिश्रण खरीद सकते हैं। प्रत्येक चूजे को प्रारम्भ में 30 ग्राम तथा पूर्ण विकास होने पर 120 ग्राम तक आहार की आवश्यकता होती है। आहार देने के लिए विशेष प्रकार के बर्तनों की जिन्हें फीडर कहते हैं की आवश्यकता पड़ती है।

मुर्गियों के राशन को निम्नलिखित पदार्थों से तैयार किया जा सकता है—

	किलोग्राम
(1) पका हुआ मक्का	25
(2) पकी हुई जई	15
(3) मूंगफली की खली	22
(4) गेहूं का चोकर	20
(5) चावल की कुनी	10
(6) मछली का चूरा	5
(7) मिश्रित खनिज चूर्ण	2
(8) नमक	1/2

मुर्गियों के सन्तुलित आहार के साथ-साथ उनके लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों से कितना उत्पादन ले पाते हैं यह उनका आहार किस सीमा तक सन्तुलित है इस पर निर्भर करता है।

कुएं का भूत

त्रिलोक ने कहा—"साब, सरकार ने जो ये नए कुएं खुदवाए हैं वहां भूत रहते हैं। जो लोग इनका पानी पीते हैं वे भूत उन्हें लग जाते हैं।"

डाक्टर ने कहा—"नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। कहीं कोई भूत-प्रेत नहीं है। आपने हैण्डपम्प के पास जो गन्दगी फैला रखी है वही रिस-रिस कर जमीन में उतरती है तो पानी में मिल जाती है। वह पानी आप काम में लेते थे इसलिए बीमार पड़ गए। सुरेश बाबू यहां के पानी का जो नमूना लाए थे, हमने उसकी जांच की है। उस पानी में इस गन्दगी के कीटाणु थे। गन्दगी ही सबसे बड़ा भूत है। सफाई रख कर हम इस भूत को हमेशा के लिए भगा सकते हैं।"

[पृष्ठ 28 का शेषांश]

सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सब पछता रहे थे कि उन्होंने हैण्डपम्प के पास गन्दगी क्यों फैलने दी?

प्राध्यापक,
लोकमान्य तिलक टी० कालेज,
डबोक (उदयपुर) 313031

लघु उद्योग का पूंजी ढांचा

एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डा० बी० डी० कविदयाल

लघु उद्योगों का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में विशिष्ट स्थान रहा है। प्राचीन समय में भारत को 'सोने की चिड़िया' जैसी गौरवपूर्ण उपमा इसके लघु उद्योगों की प्रगति के कारण ही प्राप्त हुई थी। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश सरकार की प्रतिकूल नीति के कारण इन उद्योगों का तेजी से पतन होता गया और कालान्तर में भारत की समपन्नता दरिद्रता में परिणित हो गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश को आर्थिक नव-जीवन प्रदान करने के लिए लघु उद्योगों के विकास की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन देश में अभी तक हुए लघु उद्योगों के विकास को सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसका सबसे प्रमुख कारण इन उद्योगों के लिए वित्त की कमी होना है। यहां प्रस्तुत पंक्तियों में उत्तर प्रदेश की चुनी हुई लघु औद्योगिक इकाईयों के पूंजी ढांचे का विश्लेषण दिया गया है ताकि इन उद्योगों की वित्तीय समस्या के कारणों पर प्रकाश डाला जा सके। इसके लिए प्रदेश की 150 लघु औद्योगिक इकाईयों का व्यक्तिगत सर्वेक्षण किया गया है।

चुने हुए लघु उद्योगों के पूंजी ढांचे के अध्ययन से यह बात सामने आती है कि इन उद्योगों के कुल वित्तीय संसाधनों का 41 प्रतिशत स्थायी सम्पत्तियों में विनियोजित है व बाकी 59% कार्यशील पूंजी में लगा है। स्थायी सम्पत्तियों में विनियोजित राशि का भी लगभग 40% भूमि-भवन में, 50% प्लांट एवं मशीनरी में व शेष 10% अन्य स्थायी सम्पत्तियों में लगा है। दूसरी ओर कुल कार्यशील पूंजी का लगभग 48% स्टाक में, 39% देनदारों में व बाकी 13% अन्य चल सम्पत्तियों में विनियोजित है। लघु उद्योगों में विनियोग स्वरूप सम्बन्धी यह स्थिति इस बात का संकेत देती है कि इन उद्योगों के अधिकांश वित्तीय संसाधन संचालन सम्बन्धी व्ययों की व्यवस्था करने में ही खर्च हो जाते हैं। अतः उत्पादन के लिए आधुनिक मशीन, उपकरण, व तकनीकी प्राप्त कर पाना इन उद्योगों के लिए कठिन हो जाता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश लघु औद्योगिक इकाइयां आज निम्न उत्पादकता, उत्पादन की अधिक लागत, उत्पादन का निम्न गुण स्तर, निम्न लाभदर जैसी समस्याओं से घिरी हैं। इस प्रकार लघु उद्योगों की इन सारी समस्याओं का मूल कारण इन उद्योगों म वित्तीय साधनों का अपर्याप्त होना है।

लघु उद्योगों में वित्तीय साधनों की इस अपर्याप्तता का पहला प्रमुख कारण यह है कि इन उद्योगों में समता पूंजी के रूप में बहुत कम राशि विनियोजित है। इसका मूल कारण लघु उद्यमियों का संकीर्ण दृष्टिकोण है। क्योंकि वे पूंजी में सहभागीदारी को उद्योग के स्वामित्व व प्रबन्ध में बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप मानते हैं। इसके साथ ही सहकारी एवं निगम क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना बहुत कम हो पायी है। अतः अधिकांश लघु उद्योगों को केवल एक व्यक्ति की बचत ही समता पूंजी के रूप में उपलब्ध हो पाती है। इसका दूसरा प्रमुख कारण संगठित क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं से बहुत ही कम सहायता प्राप्त हो पाना है। उल्लेखनीय है कि सर्वेक्षित इकाइयों में विनियोजित पूंजी का केवल 33% ही संगठित वित्तीय स्रोत से प्राप्त हो पाया है। इसमें भी 70% योगदान अकेले व्यापारिक बैंकों का है। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित विशेष निगमों व राज्य सरकार का योगदान बहुत ही न्यून रहा है। शुद्ध विनियोजित पूंजी में असंगठित क्षेत्र का योगदान यद्यपि 18% रहा है लेकिन वित्त के इस स्रोत के साथ जुड़ी अनेकों कमियों के कारण इसकी वास्तविक उपयोगिता अपर्याप्त रही है।

लघु उद्योगों के पूंजी ढांचे में विद्यमान इन कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि एकीकरण व संविलियन की धारणा को लघु उद्योग क्षेत्र में व्यापक रूप से स्वीकार किया जाए, तथा सहकारी व निगम क्षेत्र में अधिक से अधिक लघु औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएं। दूसरी ओर संगठित वित्तीय क्षेत्र को भी अपनी ऋण प्रक्रिया व नीति में व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की इन औद्योगिक इकाइयों को पर्याप्त सहायता उपलब्ध हो सके। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक को असंगठित क्षेत्र को अपनी पूर्ण नियंत्रण परिधि में लाने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए ताकि वित्त का यह स्रोत लघु उद्योगों के लिए और अधिक सहायक सिद्ध हो सके।□

प्रवक्ता, वाणिज्य,
डी० एस० बी०
संघटक महाविद्यालय
कुमाऊं विश्वविद्यालय,
नैनीताल (उ० प्र०)

गूंगा फलवाला

आरुमुगम अपनी फलों की दुकान पर ।

आरुमुगम गूंगा है और उसने जीवन में एक शब्द भी कभी नहीं बोला । लेकिन उसने यह सिद्ध कर दिया है कि उसका गूंगापन जीविकोपार्जन में, परिवार को चलाने में आड़े नहीं आ सकता ।

उसके माता पिता खेतिहर मजदूर थे और उसे मूक बधिर विद्यालय में नहीं भेज सके । अतः वह गलियों में घूम कर केले बेचकर अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने लगा ।

लेकिन जब उसके पिता का देहांत हो गया तब उसको पता लगा कि फलों की बिक्री से हुई आमदनी खर्च के लिए पर्याप्त नहीं है । चुपचाप बैठने से काम नहीं चलता ।

उसने युनाइटेड कमर्शियल बैंक की कुड्डालोर शाखा से फल की दुकान लगाने के लिए ऋण लेना चाहा । बैंक इस शर्त पर ऋण देने को तैयार हुआ कि उसके पास दुकान खोलने के लिए जगह होनी चाहिए ।

एक समाजसेवी की सहायता से रेलवे फाटक के नजदीक उसे जमीन का एक टुकड़ा मिल गया । बैंक ने अपना वचन निभाया और उसे 1,000 रुपये के ऋण का भुगतान कर दिया । ब्याज की दर बहुत कम थी ।

गूंगे फल वाले को शीघ्र ही सफलता मिल गई । रेलवे फाटक पर उसे काफी संख्या में ग्राहक मिलने लगे । उसने मितव्ययता के द्वारा ऋण अदा कर दिया । वह अपनी मां तथा दो बहनों को आराम से रखता है । अब उसकी योजना अपने दुकान को बढ़ाने की है । ●

केन्द्र के समाचार

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की परियोजना की मंजूरी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम की केन्द्रीय समिति ने पश्चिम बंगाल के पांच जिलों में 451,853 लाख रुपये की अनुमानित लागत से ग्रामीण सम्पर्क सड़कों के निर्माण से सम्बन्धित एक परियोजना की मंजूरी दी है ।

ग्रामीण सड़कों का निर्माण मुख्यत: न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो कि राज्य क्षेत्र में है और जिसके परिव्यय की व्यवस्था राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की योजना में होती है, के अन्तर्गत किया जाता है। तथापि राज्य सरकारें ग्रामीण सड़कों का निर्माण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसके व्यय में केन्द्र तथा राज्यों का हिस्सा बराबर-बराबर होता है या ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, जिसका पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, के अन्तर्गत भी कर सकती है ।

गांवों में और अधिक शिक्षक

केन्द्रीय कर्मचारी शिक्षा बोर्ड ने और अधिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से सातवीं पंचवर्षीय योजना में पांच सौ अतिरिक्त ग्रामीण कार्यकर्ता भर्ती करने की सिफारिश की है । ये शिक्षक खण्ड एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम चलाएंगे । गांव के लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस समय नौ राज्यों में इस प्रकार के 375 कर्मचारी शिक्षक कार्यरत हैं ।

श्री जी० रामानुजन की अध्यक्षता में शासकीय निकाय की बैठक में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्मचारी शिक्षकों को दी जाने वाली मानदेय राशि की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की गई है ।

शासकीय निकाय ने देश-भक्ति, धर्म निरपेक्षता और साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने शिक्षण कार्यक्रम में एक नया विषय "राष्ट्रीय एकता" शामिल करने का निर्णय सर्व सम्मति से किया ।

इन ग्रामीण कर्मचारी शिक्षकों के कार्य का निरीक्षण करने तथा इन शिक्षकों को मार्ग निर्देश करने की भी सिफारिश की गई। यह भी सुझाया गया कि इन ग्रामीण कर्मचारी शिक्षकों के लिए एक पूर्णकालिक पर्यवेक्षक कॉडर भी बनाया जाना चाहिए ।

शासकीय निकाय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में एक नया केन्द्र और सिक्किम, अंडमान-निकोबार, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना और लक्षद्वीप में नए उप क्षेत्रीय केन्द्र खोलने की सिफारिश भी की ।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

सरकार ने वर्ष 1984–85 के दौरान, 30,000 से अधिक बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास का लक्ष्य निर्धारित किया है । आंध्र प्रदेश में 2614, बिहार में 1500, कर्नाकट में 10,000, केरल में 250, मध्य प्रदेश में 450, महाराष्ट्र में 250, उड़ीसा में 10,000 राजस्थान, में 275, तमिलनाडु में 1294 तथा उत्तर प्रदेश में 4000 बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की जानी है ।

पिछले वर्ष के 28,804 के लक्ष्य के मुकाबले केवल 17,143 बंधुआ मजदूरों को फिर से बसाया जा सका जो कि लक्ष्य का 59.5 प्रतिशत है।

कठिनाइयों पर काबू पाने तथा लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय ने राज्यों को दिशा-निर्देश भेजे हैं ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके । लक्ष्यों में कमी का कारण समय पर लक्ष्य निर्धारण और इसकी सूचना देना, राज्य स्तर पर जांच समितियों का गठन और सहायता देने में विलम्ब तथा उपयोगी प्रमाण पत्रों का जमा न करना है ।

मंत्रालय ने जांच समितियों की तत्काल बैठक बुलाने तथा राज्यों के अंशदान की स्वीकृति सहित पुनर्वास से सम्बन्धित सभी योजनाओं को एक साथ मंजूर किए जाने का सुझाव दिया है। इसके बाद राज्यों को मंत्रालय से सम्पर्क करना चाहिए। ताकि केन्द्रीय सहायता जारी की जा सके। उपयोग प्रमाण पत्र इकट्ठा करने के लिए राज्य विकास खण्ड एवं जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों की प्रति नियुक्ति कर सकते हैं । दिशानिर्देशों में समानता के आधार पर वित्तीय सहायता देने पर भी बल दिया गया है। पर कुछ मामलों में यह देखा गया है कि राज्यों के अंश के बिना केन्द्रीय सहायता दी गई जिससे बाद में कठिनाइयां आईं।

दिशा निर्देशों में सुझाव दिया गया है कि उद्देश्यपूर्ण और गुणात्मक पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास हेतु राज्यों को दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त राज्य/उपायों को समन्वित करके अन्य योजनाओं से भी संसाधन एकत्र कर सकते हैं । □

(आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश)

पवित्रता राष्ट्र के एक अभिशाप में परिणित हो जाती है। अतः राष्ट्रीय जीवन की कोई एक ऐसी पद्धति विकसित की जाने की जरूरत है जिससे किसी भी भारतीय को किसी भी पूजास्थल में जाकर वहां की पद्धति के अनुसार पूजा-पुष्प अर्पित करने की मनाही न हो। एक दूसरे के धार्मिक जश्नों में शामिल होने की प्रवृत्ति आज कल कुछ चल निकली है उसको बढ़ावा दिया जाए। सभी धर्मों के जश्नों के फालतू आडम्बरों को त्यागा जाए जिनसे अक्सर झगड़े की जड़ें जम जाती हैं। इस संबंध में सारे समाज की स्वीकृति हो, सब के विचार विमर्श से कोई निर्णय लिया जाए। उपरोक्त सुझाव अप्राकृतिक, विषम और यहां तक कि अव्यावहारिक प्रतीत हो सकते हैं। किन्तु कुछ तो उपाय करने अवश्य पड़ेंगे क्योंकि हमारे राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न अब हमारे समक्ष आ धमका है।

इस संबंध में एक बात यह विचारनीय है कि देश के असंख्य ऐसे लोग हैं जो अन्यायी, विघटनकारी तथा हिंसक तत्वों की हां में हां मिलाने के लिए विवश हैं क्योंकि वे पिछड़ेपन से आग्रस्त लगभग असहाय हैं और असुरक्षित हैं। इनको आर्थिक दासता से निकालने के लिए निश्चय रूप से और अधिक प्रभावकारी कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह के सामाजिक शक्ति असंतुलन को दूर करने पर भी आतंकवाद को खत्म करने में महान योग मिलेगा।

साहसिक कार्य, खेल, सार्वजनिक समारोह, सांस्कृतिक आयोजन जल्दी-जल्दी देश में जगह-जगह बड़े पैमाने पर पूरे वर्ष करने से भी राष्ट्रीय एकता मजबूत करने में बहुत सहायता मिल सकती है। ऐसा करने से मस्तिष्क की शक्ति को एक निर्माणकारी दिशा मिलेगी। सहयोग और मित्रता की भावना बलवती बनेगी।

विघटनकारी तत्वों को एकता के सूत्र में पिरोने की विशेष जिम्मेदारी आज शहरी और ग्रामीण हर नागरिक की है। नहर काटने जैसी तोड़-फोड़ से जहां शहरी जनता को बिजली और पानी की कमी जैसे संकटों का सामना करना पड़ा वहीं गांवों को भी इससे अपार हानि सहनी पड़ी है। अरबों की हानि गांव वालों की फसलों और सरो-सामान के विनाश से एकदम हो गई। शहरी काम धंधों व उद्योगों पर उसका असर कुछ बाद में ही पड़ा। सेना में भी अधिकतर गांवों के ही जवान और अधिकारी होते हैं। अतः सैनिकों की हानि का बुरा असर भी पहले गांवों के लोगों पर ही अपेक्षाकृत अधिक पड़ा। इस लिए विघटनकारी तत्वों से निपटने, उन्हें सुधारने और राष्ट्रीय एकता मजबूत करने के अभियान में गांववालों को विशेष योग देना होगा।

अवांछित, अराष्ट्रीय तथा समाज विरोधी तत्व जो हथियार या गोली बारूद कहीं से चोरी-छिपे लाते हैं या कोई विदेशी, चोरी-छिपे, तोड़-फोड़ या विघटनकारी कार्यों के लिए देश में घुसेगा, वह भी पहले गांवों से होकर शहर में जाएगा क्योंकि, शहर हर जगह नहीं जबकि गांव पूरे भारतीय भू-भाग में फैले पड़े हैं। अतः गांवों के लोगों को विघटनकरी तत्वों को सुधारने या उनसे निपटने के लिए संगठित होकर कार्यक्रम चलाने में पहल कर, शहर के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार वे उग्रवादी तत्वों के षडयन्त्र को खण्डित करने में सरकार के हाथ मजबूत कर सकते हैं। इससे हर नागरिक को निश्चय ही सुरक्षा भी सुलभ कराई जा सकेगी। अनेक गांववासियों ने इस सम्बन्ध में बड़ा प्रशंसनीय सहयोग दिया भी है। जरूरत इस बात की है कि यह सहयोग और अधिक तालमेल के साथ सुसंगठित रूप से हो और उनके जीवन का एक अंग ही बन जाए। □

आर० एन०/708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी(डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना सिविल लाइन्स डाकघर, दिल्ली में डाक में डालने की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D(DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at Civil Lines Post Office, Delhi.

इन्दौर जिले के सभी गांवों में पेयजल सुलभ

इन्दौर मध्य प्रदेश का पहला जिला होगा जहां इस वर्ष गर्मी के मौसम के पूर्व सभी समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल सुलभ करा दिया जाएगा ।

स्वच्छ पेयजल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है । इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए नए 20 सूत्री कार्यक्रम में दूर-दराज इलाकों में बसे सभी गांवों में पीने के पानी की सप्लाई का कार्यक्रम शामिल किया गया था । छठी पंचवर्षीय योजना में भी कहा गया है कि योजना काल में यह प्रयास किया जाएगा कि पानी की कमी वाले जिन गांवों का पता लगाया गया है उनमें पीने के पानी का कम से कम एक ऐसा साधन अवश्य हो जो पूरे साल बना रहे । इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया गया । जिले में कुल 641 गांव हैं जिनमें 481 गांव समस्याग्रस्त घोषित किए गए थे । नए 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यों के अधीन 444 समस्या ग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है । केवल 37 ऐसे गांव शेष थे, जिनमें शुद्ध पेयजल का एक भी स्रोत उपलब्ध नहीं था । इन्दौर के इन 37 गांवों में भी मार्च, 1984 तक पेयजल का एक स्रोत उपलब्ध कराने का लक्ष्य था इन्दौर जिले की एक विशेष उल्लेखनीय उपलब्धि यह रही है कि शासन का यह लक्ष्य था कि 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले गांवों में 26 जनवरी, 1984 तक पेयजल की व्यवस्था की जाए । लेकिन इन्दौर जिले के ऐसे 26 गांवों में पेयजल की व्यवस्था 26 जनवरी से पहले ही कर दी गई । इस प्रकार इन्दौर मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिसमें नए 20 सूत्री कार्यक्रम और छठी पंचवर्षीय योजना के पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है ।

पेयजल सुलभ एक गांव में जल भरती महिलाएं

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित।